आज़ादी का अमृत महोत्सव

MORE STARS
MORE SAVINGS

बचत के सितारे

गृह पत्रिका

ऊर्जा जीवन है, संरक्षण करें
Energy is Life, Conserve it
BEE

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय)

MORE STARS
MORE SAVINGS

बचत के सितारे

गृह पत्रिका

ऊर्जा जीवन है, संरक्षण करें
BEE
Energy is Life, Conserve it

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय)

ब्यूरो द्वारा राजभाषा (हिन्दी) के लिए महत्वपूर्ण भूमिका

ऊर्जा सतत् विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आजीविका और गतिशीलता को सक्षम बनाने, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अतः ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता पैदा करने और इससे संबंधित जानकारी का प्रसार करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा मार्च, 2002 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की गई जो विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करता है।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संपूर्ण देश को तीन क्षेत्रों अर्थात् 'क', 'ख' और 'ग' में वर्गीकृत किया गया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्यालय 'क' क्षेत्र अर्थात् नई दिल्ली में स्थित है जिसके सभी अधिकारी एवं कर्मचारी हिन्दी में कार्यसाधक/प्रवीणता प्राप्त हैं। इसलिए विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 (4) के अतर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 2011 को अधिसूचित कर दिया था।

पिछले दो वर्षों में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के कामकाज में हिन्दी को लेकर बहुत प्रगति हुई है और इसका श्रेय हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा दिया गया मार्गदर्शन तथा अन्य अधिकारियों कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति लगाव है।

बीईई में हर वर्ष सितम्बर माह में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। पखवाड़े के दौरान 07 प्रतियोगिताएं अर्थात् निबंध प्रतियोगिता, टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता, अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए श्रुतलेख प्रतियोगिता, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए हिन्दी श्रुतलेख प्रतियोगिता, राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के सबंध में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, हिन्दी कविता पाठ प्रतियोगिता और ऊर्जा दक्षता पर स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की जाती हैं। प्रतियोगिता के विजेताओं को 08 पुरस्कार अर्थात् प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार और 05 प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाते हैं। हिन्दी पखवाड़े के समापन समारोह के अवसर पर महानिदेशक महोदय द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाण–पत्र दिए जाते हैं। हिन्दी पखवाड़ा आयोजन का मूल लक्ष्य हिन्दी भाषा का प्रचार–प्रसार करना है।

ब्यूरो में अधिक से अधिक बैठकों में मूल रूप से विचार–विमर्श हिन्दी में किया जाता है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत सभी दस्तावेज संकल्प, प्रेस विज्ञप्तियां तथा विज्ञापन आदि द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं। महानिदेशक महोदय ने ब्यूरो में कार्यरत क्षेत्र विशेषज्ञों तथा प्रोजेक्ट इंजीनियरों के लिए तकनीकी विषयों पर तथा शेष अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए गैर तकनीकी विषयों पर प्रत्येक

छमाही में हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य क्षेत्र विशेषज्ञों तथा प्रोजेक्ट इंजीनियरों और अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिससे कि ब्यूरो में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग में और अधिक वृद्धि हो सके।

ब्यूरो में प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। हिन्दी कार्यशालाओं में भाग लेकर अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रमाणित किया है कि उन्हें मातृभाषा हिन्दी से कितना स्नेह और लगाव है। इन कार्यशालाओं में Microsoft Indic Language Input Tool और Hindi Indic Input 3 के माध्यम से हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण दिया गया तथा इसके साथ–साथ Traditional Hindi Keyboard का प्रयोग हिन्दी टंकण में किस प्रकार किया जाता है, का भी प्रशिक्षण दिया गया। बीईई संभवतः उन गिनी चुनी सरकारी संस्थाओं में से है, जिसके सभी अधिकारी/कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर हिन्दीं में टंकण कर सकते हैं।

प्रत्येक तिमाही में महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। इन बैठकों में अध्यक्ष महोदय द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग विषयक तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है तथा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को अधिक से अधिक अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ब्यूरो में प्राप्त सभी पत्रों तथा आरटीआई का जवाब हिन्दी में दिया जाता है। इसके साथ–साथ ब्यूरो के सभी विज्ञापन तथा प्रकाशन द्विभाषी रूप में अर्थात् हिन्दी एवं अंग्रेजी में जारी किए जाते हैं।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की गृह पत्रिका "बचत के सितारे" में ब्यूरो के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की रचनाओं को प्रमुखता देते हुए उनके परिवार के सदस्यों की रचनाओं और लेखों को भी स्थान दिया गया। "बचत के सितारे" पत्रिका में कविताओं, ज्ञानवर्धक लेखों के साथ–साथ रोचक सामग्री का प्रकाशन किया जा रहा है। यह पत्रिका विविधता से परिपूर्ण रचनाओं को अपने में समाहित किए हुए है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो हिन्दी की प्रगति में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो के सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने दैनिक कार्यकलापों में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं। राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो काफी सक्रिय रहता है। राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ब्यूरो के सभी कार्मिक ईमानदारी से प्रयासरत हैं।

संदेश

अभय बाकरे
महानिदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की वार्षिक गृह पत्रिका ''बचत के सितारे'' के चतुर्थ अंक को तैयार कर लिया गया है। मैं इसके लिए ब्यूरो के सचिव श्री राकेश कुमार राय तथा समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सराहनीय प्रयास के लिए बधाई देता हूं।

हिन्दी भारत वर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अपनी स्थिति को मजबूत करती जा रही है। हिन्दी को आज समृद्धि और संरक्षण की आवश्यकता है। ''बचत के सितारे'' पत्रिका इस दिशा में एक सराहनीय कदम है। इसके माध्यम से ब्यूरो के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी की सृजनशीलता में नई दिशा मिलती है। ''बचत के सितारे'' पत्रिका में कविताओं, ज्ञानवर्धक लेखों के साथ–साथ रोचक सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। यह पत्रिका विविधता से परिपूर्ण रचनाओं को अपने में समाहित किए हुए है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो हिन्दी की प्रगति में दिन–प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ''बचत के सितारे'' का यह अंक रोचक व ज्ञानवर्धक होगा और पाठकों के लिए रुचिकर होगा। आपके सुझावों और मनोभावों का सदैव स्वागत है।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

अभय बाकरे

(अभय बाकरे)

राकेश कुमार राय
सचिव
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संपादकीय

प्रिय पाठकों,

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की वार्षिक गृह पत्रिका ''बचत के सितारे'' के चतुर्थ अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। इसके लिए मैं ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के समस्त कार्मिकों एवं पत्रिका के संपादन मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

आज हिन्दी अपनी शक्ति व सामर्थ्य के बल पर जनमानस के साथ–साथ तकनीकी क्षेत्रों में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है। हम सभी का दायित्व है कि हिन्दी के कार्यालयीन कार्यों के साथ–साथ व्यवहारिक पहलुओं में भी इसकी समृद्धि करें। इस दिशा में ब्यूरो द्वारा पत्रिका का प्रकाशन हिन्दी में सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने का अत्यंत प्रशंसनीय कदम है। यह गृह पत्रिका न केवल हिन्दी बल्कि बीईई कर्मचारियों की सृजनशीलता को भी प्रोत्साहन देने का कार्य करती है। आशा है कि हमारा यह प्रयास इस अंक के संग और भी मजबूत होगा। इसी भावना के साथ आपके समक्ष यह गृह पत्रिका प्रस्तुत है। आपके सुझावों और आशीर्वचनों की प्रतीक्षा रहेगी।

इस गृह पत्रिका के लिए बीईई परिवार को बधाई एवं धन्यवाद।

शुभेच्छु

(राकेश कुमार राय)

"बचत के सितारे"

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की वार्षिक गृह पत्रिका

(अंक : चतुर्थ, मई, 2022)

संरक्षक	:	श्री अभय बाकरे महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
प्रधान संपादक	:	श्री राकेश कुमार राय सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
संपादक	:	श्री अजय त्रिपाठी, मीडिया मैनेजर श्री सौरभ भटनागर, हिन्दी अधिकारी श्री अमर दास, प्रबंधक (प्रशासन)
उप संपादक	:	श्री एस.के.त्यागी, हिन्दी परामर्शदाता
डिज़ाइन सहयोग	:	श्रीमती गीता वर्मा, मीडिया सहायक
टंकण एंव संकलन सहयोग	:	श्री अजय पुर्वा, टंकण श्री संदीप कुमार, कार्यालय सहायक, हिन्दी

''बचत के सितारे''

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की वार्षिक गृह पत्रिका

(अंक : चतुर्थ, मई, 2022)

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विषय	रचनाकार	पृष्ठ संख्या
क.	**कवि–मन / काव्य संग्रह**		
1.	राजभाषा संकल्प 1968, राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित, 1967)	हिन्दी अनुभाग	08
2.	ऊर्जा संरक्षण का महत्व	सुश्री आकांक्षा कृष्णन	09
3.	तू है आज की नारी	श्रीमती पी.सामल	10
4.	कलाकार हूँ	सुश्री सृष्टि	10
5.	ऊर्जा संरक्षण का महत्व	श्री पंकज शर्मा	11–12
6.	दोस्ती	श्री अंकित राय	13
7.	राजभाषा नियम, 1976 (यथासंशोधित, 1987)	हिन्दी अनुभाग	14–15
8.	ऊर्जा संरक्षण का महत्व	श्री विकास कुमार झा	16–17
9.	राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान	हिन्दी अनुभाग	18–19
10.	मनुष्य बना इस कलयुग का कंस	श्री नितिन कपूर	20
11.	भारत की ऊर्जा आपूर्ति–चुनौतियां एवं अवसर	श्री अनिल राय	21–24
12.	संघ का राजकीय कार्य हिन्दी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम	हिन्दी अनुभाग	25–27
13.	अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन	श्री कामरान शेख	28–32
14.	''महिला सशक्तिकरण'' एवं ''ऊर्जा संरक्षण का महत्व'' विषय पर निबंध प्रतियोगिता के परिणाम	हिन्दी अनुभाग	33
15.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में हिन्दी पखवाड़ा–2021 का आयोजन–एक रिपोर्ट	हिन्दी अनुभाग	34–35
16.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में दिनांक 28 सितम्बर, 2021 को राज्य नामित एजेंसियों के अधिकारियों के बीच ऊर्जा संरक्षण पर ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता का आयोजन–एक रिपोर्ट	हिन्दी अनुभाग	36–39
17.	विद्युत मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 300 मिलियन टन कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन बचाने का श्रेय बीईई को दिया	हिन्दी अनुभाग	40–46
18.	आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता सप्ताह मनाया	हिन्दी अनुभाग	47–48

राजभाषा संकल्प 1968

- सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करना।
- हिन्दी के प्रयोग व प्रसार हेतु उठाए कदमों तथा प्रगति की समीक्षा को संसद के दोनों सदनों में वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करना।
- हिन्दी व संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करना।
- त्रिभाषा फार्मूला लागू करना।
- अन्यथा की स्थिति को छोड़ते हुए केंद्रीय सरकार के पदों पर भर्ती हेतु हिन्दी अथवा अंग्रेजी, किसी एक भाषा का अनवार्य ज्ञान होना।
- अखिल भारतीय एवं उच्चतर केंद्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखना।

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित, 1967)

संविधान के भाग–17 के अनुच्छेद 343(3) के प्रावधान के अनुसार संसद द्वारा उक्त अधिनियम पारित किया गया। इसमें कुल 9 धाराएं और 11 उपधाराएं हैं। अधिनियम की कुछ प्रमुख बातें:

1. यह अधिनियम अंग्रेजी के सतत् प्रयोग की अनुमति देता है–

   (क) संघ के सरकारी प्रयोजन के लिए और

   (ख) संसद में कार्य करने के लिए

2. यह संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच परस्पर पत्राचार के लिए हिन्दी और अंग्रेजी के प्रयोग को निर्धारित करता है।

3. यह 14 प्रकार के दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी के प्रयोग को अनिवार्य बनाता है। धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्ताावेज इस प्रकार हैं

सामान्य आदेश (General Orders), संकल्प (Resolution), परिपत्र (Circular), नियम (Rules), प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन (Administrative or other reports), प्रेस विज्ञप्तियां (Press Release/Communiques), संविदाएं (Contracts), करार (Agreement), अनुज्ञप्तियां (Licence), निविदा प्रारुप (Tender Forms), अनुज्ञा पत्रा (Permit), निविदा सूचनाएं (Tender Notice), अधिसूचनाएं (Notification), संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज पत्र (Reports and documents to be laid before the Parliament).

ऊर्जा संरक्षण का महत्व

सुश्री आकांक्षा कृष्णन

आज के विज्ञान के युग में ऊर्जा का अत्यधिक महत्व है। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा की बचत करना। मानव सभ्यता की अधिकतर गतिविधियां ऊर्जा के उपयोग से सफल हो सकी हैं। ऊर्जा हमारे सभी कार्यों में उपयोगी है परन्तु इसके स्रोत सीमित हैं। अतः इसका संरक्षण और कुषल उपयोग अति आवश्यक है।

हमारी प्रगति के लिए जिम्मेदार सभी संसाधन ऊर्जा पर निर्भर हैं। निजी वाहन, गाड़ियां, बसें, कार्यशालाएं, भवन, आवास एवं अपलायंस सभी ऊर्जा के बिना नहीं चल सकते। ऊर्जा के स्रोत में कुछ सीमित और कुछ अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। पेट्रोल, तेल, डीज़ल, प्राकृतिक गैस जैसे स्रोत सीमित तो हैं ही, साथ ही असामान्य जलवायु परिवर्तन का भी कारण हैं। यह वातावरण को प्रदूशित करते हैं जिससे वातावरण के तापमान में वृद्धि होती है जो प्राकृतिक आपदाओं का कारण बनता है। इन संसाधनों के विलुप्त होने की स्थिति में पूरे विश्व में सभी गतिविधियों पर रोक लगने की कल्पना करना भी कठिन है।

दूसरी ओर अक्षय ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जो पुनर्निमित हो सकते हैं। इनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस आदि अधिक उपयोग किये जाते हैं। भारत में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैज्ञानिक उपलब्धियां और विकास तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। सौर ऊर्जा सूर्य की रोशनी और गर्मी से बिजली बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। हमारे देश में जहां अधिकतर प्रदेशों में सौर ऊर्जा भरपूर है, इस स्रोत से मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण की जा सकती हैं। यह भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगा कर सभी आवासों की ऊर्जा जरूरत को पूरा किया जा सकता है। इस विशय में भारत सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं।

हमारे दिन–प्रतिदिन की सभी गतिविधियां ऊर्जा के विभिन्न संसाधनों पर निर्भर हैं। हमारे घरों और भवनों में ऊर्जा के संरक्षण के तीन सरल उपाय हैं। इनमें सबसे पहले है ऊर्जा का कम से कम उपयोग। कम खपत ही बचत का पहला कदम है। इसके लिए अधिक ऊर्जा की आपूर्ति करने वाले अपलायंस व मशीनों का कम उपयोग, बिना आवश्यकता लाइट–बल्ब आदि बंद करना षामिल हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है ऊर्जा दक्षता। इसमें एल.ई.डी. का भवनों में आविश्कार एक उत्तर उदाहरण है। ऊर्जा का कुशलता से उपयोग करने से इस कीमती संसाधन की बरबादी नहीं होती। तीसरा उपाय ऊर्जा के अल्टरनेटिव स्रोतों का उपयोग करना है। इसमें सौर ऊर्जा के विशय में हम बात कर चुके हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटें रात भर चलने वाली बिजली की खपत को कम करती है।

हम सभी को चाहिए की ऊर्जा के महत्व को समझें और इसका संरक्षण करें जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी इसके उपयोग से विकसित हों और विज्ञान एवं अन्य तकनीकी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक नए आविश्कार कर सकें। इस विषय में नए अनुसंधानों को भारत सरकार की योजनाओं द्वारा स्वीकृति मिलने से हमारा देष ऊर्जा के क्षेत्र में विकसित होकर नई उपलब्धियों की ओर बढ़ेगा।

निष्कर्ष : ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में हम सबका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

तू है आज की नारी

श्रीमती पी. सामल

थोड़ा तो ठहर.....

वो आइना जो हस्ती थी कभी
वो घुंघरू जो नाचते थे सभी
वो सावन के झुले
वो बारिश की बूंदे

सब कुछ है तेरे.....

एक पल के लिए
सिर्फ अपने लिए
जी के तो देख
मुस्कुरा ले थोड़ा.....

थोड़ा तो ठहर.....

तू काजल की काली
तू सिंदूर की लाली
कोयल की कुहू सी प्यारी
तू है आज की नारी.....

कोई क्यों रोके
कोई क्यों टोके

ये कहानी है तेरी

तू नाच ले, तू झूम ले,
तू उड़ना सीख, बादलों को छूले,

थोड़ा तो ठहर.....
जी ले अपनी जिंदगी.....

कलाकार हूँ

सुश्री सृष्टि

कलाकार हूँ, कल को आकार दूँ।
फिर चाहे जो भी हो क़ीमत, सब कुछ उस पर वार दूँ।।
जीत का पैग़ाम आना है अभी बाक़ी
पर है हिम्मत, है जज़्बा, तो कैसे मैं हार मान लूँ
मेहनत तो निरंतर है, बेबाक जंग ये भयंकर है।
माना जीतने में अंतर है, पर सीखना ब्रह्मस्त्रा है।
अगर बनना है मिसाल, तो करनी पड़ेगी कोषिषें बेहिसाब।
यक़ीनन लोग करेंगे उपहास, देखकर मेरा हाल,
बहुत कम होते है जो समझते है ज़जबात,
बाक़ी तो सिर्फ देखते है कितने हो तुम कामियाब।
मान लो, तो सब कुछ मुमकिन,
जब ठान लो, तो फिर क्या है नामुमकिन
इरादों में हो मज़बूती, तो फिर क्या होगी मजबूरी
'गर मक़सद रहे नेक, तो कहाँ रहेगी मंज़िल से दूरी
नज़र अन्दाज़ करोगे खुद को, तो नज़रों में चढ़ोगे कैसे
दिल में नफ़रत रखोगे इस क़दर, तो दिलों में बसोगे कैसे
कलाकार हूँ, कल को आकार दूँ।
फिर चाहे जो भी हो क़ीमत, सब कुछ उस पर वार दूँ।।

ऊर्जा संरक्षण का महत्व

श्री पंकज शर्मा

ऊर्जा संरक्षण का महत्व–ऊर्जा इस संसार को चलाने के लिए अति आवश्यक है। मानव जीवन से लेकर कल–कारखानों तक हर किसी को क्रियाशील बनाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। किन्तु बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ते उद्योगों की जरूरत को पूरा करने के लिए उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों की सीमित क्षमता है। सीमित ऊर्जा स्रोतों से दिनों–दिन बढ़ती ऊर्जा खपत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तथा सतत ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने के लिए ऊर्जा संरक्षण का महत्व बढ़ जाता है। भिन्न–भिन्न क्षेत्रों तथा वर्गों के लिए ऊर्जा संरक्षण के महत्व का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया गया है।

दैनिक जीवनशैली में ऊर्जा संरक्षण का महत्व–विगत कुछ दशकों में जनसंख्या में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हुई है। बढ़ती जनसंख्या के साथ–साथ लोगों की जीवनशैली में भी अनेक बदलाव आए हैं। बढ़ती जनसंख्या और बदलती जीवनशैली के कारण ऊर्जा खपत पर दोहरी मार पड़ रही है। उदाहरण के लिए हम एक परिवार की जीवनशैली को देखें तो पाते हैं कि जहां आज से कुछ वर्षों या कुछ–एक दशक पूर्व सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारों में दो या उससे ज्यादा वातानुकूलक हुआ करता था आज उन्हीं परिवारों में दो या उससे ज्यादा वातानुकूलक प्रयोग किए जाते हैं। जिसके कारण उन परिवारों द्वारा ऊर्जा खपत में बढ़ोत्तरी आई हैं जिसे हम उनके बिजली बिलों में देख सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में काफी सुधार हुआ है। ऐसे में ऊर्जा–दक्ष वातानुकूलकों के प्रयोग से ऊर्जा खपत में होने वाले अनुपातिक वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात् जहां दो वातानुकूलकों के प्रयोग से ऊर्जा खपत दोगुनी होने की संभावना है, वहीं ऊर्जा दक्ष वातानुकूलकों के प्रयोग से ऊर्जा खपत को दुगुने से कम किया जा सकता है। इस प्रकार एक परिवार ना सिर्फ ऊर्जा खपत को कम करेगा बल्कि ऊर्जा के लिए बढ़े हुए खर्च को भी नियंत्रित कर सकेगा। इसी प्रकार अन्य घरेलू उपकरण जैसे–बत्ती, पंखा, रेफ्रिजरेटर इत्यादि को ऊर्जा दक्ष विकल्पों से बदलकर ऊर्जा खपत के ऊपर होने वाले खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है तथा बचत को परिवार की खुशी के लिए अन्य मदों पर खर्च करके खुशियां बढ़ा सकते हैं।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के मानक एवं लेबलिंग प्रोग्राम के अंतर्गत अनेक घरेलू उपकरणों के लिए मानक बनाए गए हैं, जिनको अध्ययन करके सामान्य व्यक्ति अपने क्षमता के अनुरूप उचित ऊर्जा दक्षता वाले उपकरणों को खरीद सकता है और बिजली बिलों पर खर्च होने वाली धनराशि को बचा सकता है। इस प्रकार दैनिक जीवनशैली में ऊर्जा दक्षता का महत्व बढ़ जाता है।

कल–कारखानों में ऊर्जा दक्षता का महत्व–बड़े उद्योगों में निवेश में सबसे ज्यादा निवेश ऊर्जा तथा मानव संसाधनों में होता है। एक उद्योगपति के लिए ऊर्जा खपत को नियंत्रित करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि मानव संसाधन को सीमित करने से उत्पादकता पर सीधा असर पड़ता है।

कल–कारखानों में अनेक समांतर तथा क्रमागत प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इन प्रक्रियाओं में कुछ प्रक्रियाओं के साथ–साथ अनेक भारी–उपकरण ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ऊर्जा खपत होता है। कभी–कभी उचित कार्य–पद्धति के अभाव में प्रक्रियाओं में होने वाली ऊर्जा खपत आवश्यकता से भी अधिक होती है और भारी–उपकरणों के अनुचित रख–रखाव के कारण ऊर्जा नष्ट होने लगती है।

एक कुशल अभियंता या ऊर्जा प्रबंधक प्रक्रियाओं के उचित समायोजन तथा उपकरणों के उचित रख–रखाव को सुनिश्चित करके ऊर्जा खपत को नियंत्रित कर सकता है।

ऊर्जा दक्षता या ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देकर ईंधन की खपत को कम किया जा सकता है और चूंकि उद्योगों में प्रयोग होने वाले ईंधन का मूल्य बहुत होता है इसीलिए ईंधन खपत में मामूली बचत भी उस पर खर्च होने वाले बड़ी धनराशि को कम करने में सक्षम है।

ईंधनों पर होने वाले खर्च को कम करने से उत्वादकता में वृद्धि होगी जिससे उद्योगपति को होने वाला लाभ बढ़ेगा। इस प्रकार ऊर्जा संरक्षण दो–तरफा मुनाफा दिला सकता है। मतलब आम के आम, गुठलियों के दाम।

परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण का महत्व–जनसंख्या वृद्धि तथा सस्ते वाहनों की उपलब्धता के कारण वाहनों की संख्या में भी काफी बढ़ोंत्तरी हुई है। आज के समय में लगभग प्रत्येक मध्यम–वर्ग परिवार तथा उच्च–वर्ग के परिवार में वाहन हो गए हैं।

वाहनों से निकलने वाले धुएं ना सिर्फ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, बल्कि वाहनों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन की मांग को भी बढ़ाते हैं।

अपने देश में तथा विष्व में पेट्रोलियम स्रोतों की सीमित उपलब्धता के कारण वाहनों में ऊर्जा संरक्षण या ऊर्जा दक्षता की महत्ता बढ़ जाती है।

यदि एक वाहन को पूरी क्षमता पर प्रयोग किया जाए अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति एक–एक वाहन के बजाए, एक वाहन को चार लोग परिवहन के लिए प्रयोग करें तो वाहनों की संख्या को बढ़ने से रोका जा सकता है। साथ ही साथ व्यक्तिगत वाहनों के बजाए बसों, ट्रेनों या अन्य सार्वजनिक परिवहन के माध्यमों को प्राथमिकता दी जाए तो ना सिर्फ पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है, बल्कि ईंधन भी बचाया जा सकता है।

यदि ईंधन ना बचाया गया तो आने वाली पीढ़ी के लिए ईंधन की कमी हो जाएगी और ईंधनों के मूल्य में भी सतत वृद्धि होती रहेगी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को अध्ययन करें तो यह साफ दिखता है कि पिछले 15–20 वर्षों में यह दुगुना हो चुका है। सन 2000 के आस–पास पेट्रोल के दाम 40 रुपए/ली. के आस–पास था जो कि अब 100 रुपए/ली. से भी ऊपर जा चुका है।

बढ़ते दामों के कारण मध्यम वर्ग के परिवारों की आर्थिक स्थिति भी बदत्तर होती जा रही है। ऐसे में ऊर्जा संरक्षण ही एकमात्र उपाय दिखता है जिससे ईंधन खपत को नियंत्रित किया जा सके जिससे ना सिर्फ मूल्य–नियंत्रण होगा बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है।

निष्कर्ष–इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का आर्थिक व सामाजिक, महत्व और अन्य अनेक रूप में महत्व है। ऊर्जा संरक्षण से धन की बचत, ऊर्जा स्रोतों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है जो अंततः मानवता के लिए अत्यंत लाभदायक है।

दोस्ती

दोस्त वो है जिसके साथ आप बैठे हैं और कोई गुफ्तगु नहीं हो रही है।
लेकिन आप खुश हैं कि जो पास बैठे हैं ये दोस्त हैं।
दोस्त वो है, जब भी आपका और उसका इंटरेस्ट क्लैश करे तो वो हर वक्त,
अपने इंटरेस्ट छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, ये दोस्त हैं।
दोस्त वो है, जो हर वक्त वो करने को तैयार हो, जो समझता है आपके हक में हैं।
दोस्त वो है, जो हर वक्त अपनी जान अपके लिए देने के लिए तैयार है।
और दोस्त वो है असल में उसके दिल में बात हो और आपको पता हो,
दोस्त वो है, जो आपको मौका दे, कुछ करने का और आप खुश हों।

श्री अंकित राय

जिन्दगी का सफ़रनामा

ऐ जिंदगी क्या, क्यों, कैसे लिख रहा तेरे बारे में मैं।
कुछ बीते अल्फाज़ को याद कर लिख रहा था मैं।।
सोचा दरिया सी शांत लैहरे हो तुम।
पर समुंदर के तूफानों से लड़ रहा था मैं।।

बचपन से हर चीज़ के लिए लड़ रहा था मैं।
कुछ पाने की चाह में अपने दिल से भी लड़ रहा था मैं।।
सोचा खुली किताब की तरह हो तुम।
पर तक़दीर किसी और कि लिख रहा था मैं।।

कुछ बयां करु अपने दिलों की दास्तां को मैं।
जिसे छोड़ किसी और के हवाले कर गया था मैं।।
तरसता रहा जीवन में किसी के साथ के लिए मैं।
ऐ ज़िदगी न जाने क्या लिख रहा था मैं।।

जीवन की हर परिस्थितियों को हँसकर सहते जा रहा हूँ मैं।
ऐसा लगता है बस जीवन के पन्नों को उलटे जा रहा हूँ मैं।।
न जाने कब ठहराव सा आयेगा जीवन में।
ऐ जिंदगी न जाने क्या लिखते जा रहा हूँ मैं।।

राजभाषा नियम, 1976 (यथासंशोधित, 1987)

हिन्दी के अनुमानित ज्ञान के आधार पर देश के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को तीन क्षेत्रों, अर्थात–क, ख, ग में परिभाषित किया गया है।

भाषा क्षेत्र	राज्य/संघ शासित राज्य
'क' क्षेत्र	बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य
'ख' क्षेत्र	गुजरात, महाराष्ट्र, और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य
'ग' क्षेत्र	उपरोक्त निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य

नियम 3(1) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से पत्र आदि हिन्दी भाषी राज्यों के जिन्हें ''क'' क्षेत्र के राज्य कहा गया है या ऐसे राज्यों में किसी अन्य कार्यालय या अन्य व्यक्ति को हिन्दी में भेजे जाएंगे। यदि किसी खास मामले में कोई पत्र इन्हें अंग्रेजी में भेजा जाता है, तो उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ में भेजा जाएगा।

नियम 3(2)(क) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से पत्रादि पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यों तथा चंडीगढ़ क्षेत्रों के प्रशासनों को जिन्हें ''ख'' क्षेत्र में शामिल किया है सामान्यतः हिन्दी में भेजे जाएंगे। यदि उन्हें कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ में भेजा जाएगा।

नियम 3(2)(ख) लेकिन इन राज्यों में किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी, दोनों में से किसी भाषा में भेजे जा सकते हैं।

नियम 3(3) अन्य अहिन्दी भाषी राज्यों जिन्हें ''ग'' क्षेत्र कहा गया है किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाएंगे।

नियम 3(4) इन ''ग'' राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से ''क'' अथवा ''ख'' क्षेत्र की सरकारों, उनके कार्यालयों आदि को पत्रादि हिन्दी अथवा अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

नियम 4(क) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र व्यवहार हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकता है।

नियम 4(ख) केंद्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग और ''क'' क्षेत्र में स्थित संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार हिन्दी में ऐसे अनुपात में होगा, जिसे सरकार निर्धारित करेगी।

नियम 4(ग) ''क'' क्षेत्र में स्थित अन्य केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार हिन्दी में होगा।

नियम 5 हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर–केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिन्दीं में ही दिए जाएंगे।

नियम 6 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं प्रयोग में लाई जाएगी और सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी।

नियम 7(2) हिन्दी या हिन्दीं में हस्ताक्षर किए आवेदन या अभ्यावेदन का उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।

नियम 7(3) यदि कोई कर्मचारी सेवा संबंधी विषयों से संबंधित कोई आदेश या सूचना यथास्थिति हिन्दी या अंग्रेजी में चाहता हो तो उसे उसी भाषा में दी जाएगी। केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी फाइलों में हिन्दी या अंग्रेजी में टिप्पणी या प्रारूप लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें।

नियम 8(2) विशिष्ट दस्तारवेज, विधिक या तकनीकी प्रकृति का है अथवा नहीं, इसका निर्णय विभाग या कार्यालय का प्रधान करेगा।

नियम 8(4) अधिसूचित कार्यालयों में से कुछ को पूरी तरह या उनके कार्य की कुछ मदों को विनिर्दिष्ट (स्पेसीफाइड) किया जा सकता है ताकि उनमें काम करने वाले हिन्दीं में प्रवीण प्राप्त कर्मचारियों को नोटिंग, ड्राफ्टिंग आदि में केवल हिन्दी का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा सके।

नियम 10(4) जिन कार्यालयों में 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो उन कार्यालयों को अधिसूचत किया जा सकता है।

नियम 11(1) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में संबंधित सभी नियमावली, संहिताएं और अन्य प्रक्रिया संबंधी साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों में द्विभाषिक (डिग्लॉट) रूप में तैयार किए जाएंगे।

नियम 11(2)(3) सभी फार्मों और रजिस्टरों के शीर्ष, नामपट्ट, सूचनापट्ट, स्टेशनरी आदि तथा अन्य मदें तथा रबड़ की मोहरें, धातु सीलें, पत्र शीर्ष (लैटर हैड), विजिटिंग कार्ड हिन्दी और अंग्रेजी अर्थात द्विभाषी होंगे।

नियम 12 प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम और इन नियमों का समुचित रूप से अनुपालन किया जाता है।

ऊर्जा संरक्षण का महत्व

श्री विकास कुमार झा

प्रकृति ने हमें ऊर्जा के बहुत से स्रोत दिए हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। ऊर्जा के स्रोत ने हमारी जिंदगी को सरल बना दिया है। हमारे पास ऊर्जा के बहुत संसाधन है जैसे कि पेट्रोल, लकड़ी, कोयला आदि। यह स्रोत एक बार ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं और इनकी मात्रा बहुत सीमित है।

ऊर्जा संरक्षण : हमारे पास ऊर्जा के सीमित मात्रा में होने के कारण और उनके भविष्य में प्रयोग के लिए हमें ऊर्जा को संरक्षित करके रखना होगा। अगर आज हम ऊर्जा बचाऐंगे और नष्ट नहीं करेंगे तो ऊर्जा स्रोत भविष्य के लिए बच जाऐंगे।

ऊर्जा का प्रयोग : बढ़ते हुई तकनीक और जनसंख्या वृद्धि के कारण ऊर्जा की मांग में वृद्धि हुई है। हम हर रोज बहुत सारे कार्यों में ऊर्जा का प्रयोग करते है। वाहन चलाने के लिए पैट्रोल की जरूरत, बिजली भी कोयले से उत्पन्न होती है और हम सब बिजली का दैनिक जीवन में बहुत प्रयोग करते हैं। ऊर्जा के स्रोत हमारे लिए बहुत जरूरी हैं।

ऊर्जा संरक्षण के उपाय : अगर हम चाहते हैं कि हम भविष्य में भी ऊर्जा निरंतर प्राप्त कर सके और ऊर्जा के स्रोतों का लाभ उठा सके तो हमें इनका सोच समझकर उपयोग के अनुसार प्रयोग करना होगा और साथ ही ऊर्जा के ऐसे स्रोत ढूंढने होंगे जिनका हमारे पास भंडार है और वह कभी न खत्म होने वाले हों। हमें ऊर्जा के नए स्रोत में सौर ऊर्जा का बढ़ावा करना चाहिए। सौर ऊर्जा सूर्य की गर्मी से प्राप्त होती है और यह कभी खत्म नहीं होने वाली हैं और वातावरण के लिए हानिकारक भी नहीं है साथ–साथ इस स्रोत का उपयोग करने से हमारे जलवायु पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पवन ऊर्जा का प्रयोग से भी हमारे वातावरण पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। ऊर्जा संरक्षण का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने जीवन में दैनिक कार्यों में बिना बाधा पहुंचाए ऊर्जा को संरक्षित रखना। ऊर्जा मानव जीवन की सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति का महत्वपूर्ण साधन है जीवन में गति का कारण ऊर्जा ही हैं चाहे वह हमारे यातायात के लिए यंत्रों के परिचालन के लिए जीवन है हर क्षेत्र में ऊर्जा की जरूरत है, ऊर्जा के सीमित भंडार हैं इसलिए हमें ऊर्जा संरक्षण की तरफ जाना होगा ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां ऊर्जा संकट का सामना न करें। वर्तमान के सुख में कमी के भाव ने असंतोष को जन्म दिया है और यही असंतोष और कुछ अर्जित करने की जिद्द ने मोटर गाड़ी, हवाई, रेल, मोबाइल इंटरनेट, रोबोट, परमाणु सब कुछ दिया हैं। प्रकृति प्रदत संसाधनों की कमी गहराती जा रही है तथा विपुल भंडार खत्म होते जा रहे हैं।

हमारी पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन के सीमित भंडार ही उपलब्ध हैं, ऊर्जा भी उन्ही में से एक हैं। जिस तीव्र गति से विश्व की आबादी बढ़ रही है आए दिन यातायात के साधनों में ताबड़तोड़ वृद्धि हो रही है। हमारा जीवन पूरी तरह से मशीनों पर आश्रित हो चुका है। इन मशीनों को चलाने के लिए

विविध प्रकार के ईंधन यानी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है जिस गति से आज हम ऊर्जा को डीजल, पेट्रोल, विद्युत आदि रूपों में व्यय करते हैं एक दिन इनके भंडार समाप्त हो जाएंगे और हमारे घरों में खाना पकाने के लिए एलपीजी, वाहनों में प्रयुक्त सीएनजी व अन्य पेट्रोलियम यदि समाप्त हो गए तो इनका उत्पादन नहीं किया जा सकता। अतः हमें सीमित मात्रा में उपलब्ध इन संसाधनों का कम से कम दोहन करना चाहिए। एक दिन के लिए कल्पना करें यदि पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस न हो तो हमारा जीवन कैसा होगा जैसा कि पूर्व में कहा गया ऊर्जा का प्रथम उद्देश्य गति है इसके अभाव में संसार रूक जाएगा। यदि हम इसी गति से प्रकृति के साधनों का उपयोग करते चले तो यह परिकल्पना या भय एक दिन यथार्थ बनकर हमारे समक्ष होगा, जब हमारी धरती से ये प्राकृतिक संसाधन पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। अभी भी हमें संभलने का वक्त है ऊर्जा संरक्षण के उपायों को अपनाएं तथा ऊर्जा के ऐसे विकल्पों को अपनाएं जो नवीकरण योग्य हो ऊर्जा के साधन जैसे सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा बायोगैस का अधिकतम उपयोग करें यदि हमने समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए तो निश्चय ही एक दिन समुची मानव जाती के समक्ष ऊर्जा का एक भयानक संकट उपस्थित हो जाएगा।

जिस गति से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तीव्र विकास की जरूरत पड़ती है। यह ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देती है। आगामी दशक में ऊर्जा के अधिकतम उपयोग का बढ़ावा देती है आगामी दशक में ऊर्जा की कुल खपत में कई गुणा इजाफा हो जाएगा इसलिए अभी केन्द्र और राज्य सरकारों को इस बारे में सोचकर कठोर कानून बनाने होंगे। हालांकि इस दिशा में बहुत सराहनीय कार्य भी हुए है जिनमें सफलताएं भी मिली हैं, वे है एलईडी लाइटस का प्रयोग, बायोगैस, सौर संयत्र को बढ़ावा तथा वृक्षारोपण, हमारी धरती पर ऐसे संसाधनों के विपुल भंडार या उनकी संभावनाएं है जो पर्यावरण में प्रदूषण नहीं बढ़ाते हैं।

आज पूरी दुनिया में ऊर्जा संरक्षण के महत्व को समझा जाने लगा है तथा ऊर्जा के नवीन विकल्पों पर काम किया जा रहा है सौर तथा पवन ऊर्जा को अपनाने पर बल दिया जा रहा है साथ ही इस तरह के नवीकरणीय साधनों को अधिक से अधिक विकसित करने की दिशा में रिसर्च हो रही है। भारत दुनिया के बड़े ऊर्जा आयातक देशों में से एक है। हमारा अधिकतर पेट्रोलियम खाड़ी देशों से आयात होता है। हमारा देश ऊर्जा के इन साधनों को पाने के लिए न केवल बड़ी मात्रा में धन खर्च करता है बल्कि अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार के दामों में कई बार आने वाले उफान के कारण यह भारतीय व्यापारियों के लिए खरीद पाना भी मुश्किल हो जाता है ऐसे में सरकार कर कम करके अथवा उनके घाटे की भरपाई करके आपूर्ति को नियमित बनाने का प्रयत्न करती है। किसी भी तरह से ये बोझ आम जनता के सर पर ही है। हमें आश्वस्त रहना चाहिए, जिस तेजी से हम विज्ञान के नए–नए अविष्कार कर रहे हैं उसी दिशा में हम ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने वाली तकनीक या ऊर्जा के नए विकल्पों की खोज कर लेंगे जो हमारे पर्यावरण के लिए भी घातक न हो तथा कभी खत्म न हों प्रत्येक नागरिक को ऊर्जा के प्रति जागरूक बनाने की आवश्यकता है इसके व्यर्थ अपव्यय से बचते हुए संरक्षण की ओर कदम उठाने की आवश्यकता है।

अंत में मैं अपनी लेखनी को विराम इस स्लोगन से देना चाहुंगा ''ऊर्जा बचाओ, आने वाले कल के लिए संभावनाएं जगाओ'' ''ऊर्जा है पृथ्वी पर नव–सभ्यता का मूल, इसकी बचत करना न जाना भूल'' ''कम करें ऊर्जा की खपत, ये है हर पीढ़ी की जरूरत''।

राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान

14 सितंबर, 1949 का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन संविधान सभा ने हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार है:

अनुच्छेद 120(1) के अनुसार संसद में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा परंतु यथास्थिति राज्य सभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष किसी सदस्य को जो हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकेगा। अनुच्छेद 120(7) में राज्य के विधान मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 210 के अंतर्गत विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 210 के खंड (1) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के भाग–17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान मंडल में कार्य, राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, किंतु यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति सदन में किसी भी सदस्य को, जो अपने राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं अथवा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी भी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, तो उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।

अनुच्छेद 343(1) में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अतंराष्ट्रीय स्वरूप (अर्थात 1, 2, 3 आदि) होगा।

अनुच्छेद 343(2) के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि तक, अर्थात् सन 1965 तक संघ के सभी सरकारी कार्यों के लिए पहले की भांति अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई थी कि इस बीच हिन्दी न जानने वाले हिन्दी सीख जाएंगे और हिन्दी भाषा को प्रशासनिक कार्यों के लिए सभी प्रकार से सक्षम बनाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 343(3) में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 1965 के बाद भी सरकारी कामकाज में हिन्दी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के बारे में व्यवस्था कर सकती है।

अनुच्छेद 344(1) में यह व्यवस्था है कि संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो अन्य बातों के साथ–साथ संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग तथा सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सिफारिश करेगा। (आयोग की स्थापना 1955 में हुई और रिपोर्ट 1956 में प्राप्त हुई। इस पर 1956 में संसदीय समिति गठित की गई।

अनुच्छेद 344(2) के अनुसार यह आयोग अन्य बातों के साथ–साथ सरकारी कामकाज में हिन्दी के क्रमिक प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद 344(3) आयोग की सिफारिशों पर राय देने के लिए संसदीय राजभाषा समिति का गठन। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही संसद द्वारा अनुच्छेद 343 की शक्तियों का प्रयोग कर राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया। समिति के गठन में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। यह समिति संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगी। (वर्ष 1956 में संसदीय समिति गठित हुई और अब तक चल रही है)।

अनुच्छेद 345 में राज्यों को यह अधिकार है कि वे अपने यहां प्रयुक्त किसी एक भाषा या एक से अधिक भाषाओं को अपनी राजभाषा चुन सकते हैं या चाहें तो अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकते हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है।

अनुच्छेद 346 में संघ और राज्यों के बीच पत्राचार के माध्यम की व्यवस्था–संविधान बनाते समय यह भाषा अंग्रेजी थी, लेकिन आपसी राय से राज्य हिन्दी का प्रयोग कर सकते हैं।

अनुच्छेद 347 राष्ट्रपति जी राज्य की मांग के आधार पर किसी भी भाषा को सरकारी काम काज के लिए मान्यता दे सकते हैं।

अनुच्छेद 348(1) में यह व्यवस्था है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में की गई कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी किंतु इस अनुच्छेद के खंड (2) में यह व्यवस्था है कि राज्यों का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अपने राज्य में स्थित उच्च न्यायालय में हिन्दी भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है।

अनुच्छेद 348(2) किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से अपने राज्य के उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आदेशों आदि को छोड़कर बाकि सभी कार्रवाइयों के लिए हिन्दी या राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है।

अनुच्छेद 348(3) यदि किसी राज्य में विधि के लिए अंग्रेजी को छोड़कर कोई दूसरी भाषा नियत की गई है तो राज्यपाल के प्राधिकार से राज्य के गजट में प्रकाशित विधियों, नियमों आदि का अंग्रेजी अनुवाद उसका प्राधिकृत पाठ होगा।

अनुच्छेद 349 में यह कहा गया है कि 348(1) में उल्लिखित भाषा की व्यवस्था में परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।

आवेदन/अभ्यावेदन की भाषा–

अनुच्छेद 350 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपनी व्यथा के निवारण के संबंध में अपना आवेदन/ अभ्यावेदन सरकारी पदाधिकारी के सामने किसी भी भाषा में प्रस्तुत कर सकता है। यह शर्त जरूर है कि अगर आवेदन संघ के पदाधिकारी को लिखा गया है तो संघ में प्रयुक्त भाषाओं में से कोई एक में होना चाहिए और अगर किसी राज्य के अधिकारी को संबोधित है तो उस राज्य में प्रयुक्त भाषाओं में से किसी एक भाषा में होना चाहिए।

अनुच्छेद 351 में यह व्यवस्था है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करें, उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। गृह मंत्रालय इसके लिए प्रति वर्ष वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें विभिन्न मदों में हिन्दी प्रयोग के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

श्री नितिन कपूर

मनुष्य बना इस कल्युग का कंस

ऐ मनुष्य तू क्यों बना कंस इस कलयुग का ?

क्यों किये तूने अपने जमीर से गद्दारी

क्या तेरे मन ने कभी तूझे न रोका तो पड़ी तूझे इस कलयुग में भारी ?

ऐ मनुष्य तू क्यों कि जानवरों कि हत्या सिर्फ अपनी भूख मिटाने
को इस कलयुग में।

कभी तुने बनाई जानवरों की हत्या करके अपने लिए बिरयानी

मगर फिर भी याद न आई तूझे जानवरों की हम मनुष्यों के प्रति प्रेम
कहानी जिनसे हमारा प्राकृतिक संतुलन बना रहा।

ऐ मनुष्य तूने क्यों कि प्राकृतिक कार्यों में हस्तेक्षप

जिनसे बिगड़ा हमारी जन्नत का प्राकृतिक संतुलन और
बिगड़ा तेरा मानसिक संतुलन

और आखिर तू बना इस कलयुग का कंस।

ऐ मनुष्य क्यों तुने सिर्फ जरा सी दौलत की खातिर

तुने सारे रिश्ते–नाते तोड़ दिए जहां पर पहले प्रेम था।

लेकिन जहां अब तू लाया सिर्फ छल–कपट, अत्याचार

और तू बना इस कलयुग का कंस।

उम्मीदों का सूरज निकलने दे यारो ओर हिम्मत दे फौलादी

तेरे हर कदम तो बना जा ऐ मनुष्य तू इस कलयुग का कंस,
इस कलयुग का हंस।

भारत की ऊर्जा आपूर्ति- चुनौतियां एवं अवसर

श्री अनिल राय

ऊर्जा किसी भी देश के विकास का इंजन होती है। किसी देश में प्रति व्यक्ति होने वाली ऊर्जा की खपत वहाँ के जीवन स्तर का भी सूचक है। यही नहीं, आर्थिक विकास का भी ऊर्जा उपयोग के साथ मजबूत संबंध होता है। इसलिये भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिये ऊर्जा जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है।

इन्हीं पहलुओं के मद्देनजर बीते दिनों नई दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने तेल उत्पादक देशों से ऊर्जा की लागत को कम करने का आग्रह किया ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था को मदद मिल सके।

कुछ समय पूर्व आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली बैठक में भी 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों से 40 फीसदी बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

इसमें दो राय नहीं कि तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के भरण–पोषण और सुख–सुविधाओं के लिये संसाधनों की तेजी से खपत हो रही है। लेकिन इससे पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं का जन्म हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि बढ़ती जनसंख्या और ऊर्जा आपूर्ति के बीच कैसे संतुलन बनाया जाए? सवाल यह भी है कि पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर भारत की आगे की रणनीति क्या होनी चाहिये। साथ ही वर्तमान में भारत की किन स्रोतों पर कितनी निर्भरता है और इसे कैसे बदला जा सकता है? इस लेख के जरिये हम इन्हीं कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

नवीकरणीय ऊर्जा है बेहतर निदान

चाणक्य नीति कहती है कि 'किसी समस्या का उपाय नहीं, निदान ढूंढो'। इसीलिये अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण फैलाने वाले कोयले पर निर्भरता कम करने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे–सौर और पवन ऊर्जा क्षमता को बेहतरीन निदान के रूप में देखा जा सकता है।

यह गौर करने वाली बात है कि पिछले 150–200 वर्षों में मनुष्य ने ऊर्जा जरुरतों को पूरा करने के लिये पृथ्वी की सतह के नीचे दबे संसाधनों पर भरोसा किया है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि सुरक्षित भविष्य के लिये सौर और पवन ऊर्जा जैसे उपलब्ध संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए।

इसके लिये एक मजबूत नीतिगत ढाँचे की आवश्यकता होगी जिसमें भारत अहम् भूमिका निभा सकता है। इसके लिये भारत संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के मंच पर ले जाना चाहता है जिससे ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिये सभी देशों का ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर केंद्रित किया जा सके।

नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की स्थिति?

जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित हमारे योगदानों और एक स्वच्छ ग्रह के प्रति हमारी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए भारत ने संकल्प लिया है कि 2030 तक बिजली उत्पादन की हमारी 40 फीसदी स्थापित क्षमता ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर आधारित होगी।

साथ ही यह भी निर्धारित किया गया है कि 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। इसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, बायो–पावर से 10 गीगावाट और छोटी पनबिजली परियोजनाओं से 5 गीगावाट क्षमता शामिल है।

इस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के साथ ही भारत विश्व के सबसे बड़े स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकों की जमात में शामिल हो जाएगा। यहाँ तक कि वह कई विकसित देशों से भी आगे निकल जाएगा।

फिलहाल 2018 में देश की कुल स्थापित क्षमता में तापीय ऊर्जा की 63.84 फीसदी, नाभिकीय ऊर्जा की 1.95 फीसदी, पनबिजली की 13.09 फीसदी और नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 21.12 फीसदी है।

वहीं, भारत कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और सौर ऊर्जा के लिहाज से विश्व में पाँचवें स्थान पर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में चौथे स्थान पर है। इन सभी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सरकार अनेक सराहनीय कदम उठा रही है जिनकी चर्चा करना भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

सरकार द्वारा उठाए गए अहम कदम

गोबर धन योजना–

महात्मा गांधी ने कहा था कि गाँव में बहुत प्रयोग किये जा सकते हैं। इसी की बानगी है सरकार द्वारा शुरू की गई गोबर धन योजना।

सभी जानते हैं कि भारत सबसे ज़्यादा पशुधन आबादी का क्षेत्र है। ऐसे में यह योजना पशुओं से प्राप्त गोबर और ठोस अपशिष्ट को उपयोगी कंपोस्ट, बायोगैस और बायो–सीएनजी में बदलने पर ही केंद्रित है।

इस योजना का लाभ किसानों की आय बढ़ाने के साथ–साथ गाँवों को स्वच्छ रखने और ऊर्जा उत्पादन में भी मिलेगा।

बायोमास संसाधनों के उपयोग से बिजली उत्पादन

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय देश में बायोमास से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये कई कार्यक्रम चला रहा है। इसका उद्देश्य देश में उपलब्ध बायोमास संसाधनों जैसे– गन्ने की खोई, चावल की भूसी, पुआल, कपास के डंठल आदि का उपयोग बिजली उत्पादन में करना है।

मेथनॉल को बढ़ावा

नीति आयोग भी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को मेथनॉल (Methanol) में बदलने की योजना पर विचार कर रहा है। ऐसा होने पर घरेलू रसोई गैस की खपत कम होने की उम्मीद की जा सकती है।

इसी क्रम में पूर्वी असम के डिब्रूगढ़ जिले के आमरूप में असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा पायलट परियोजना के हिस्से के रूप में मेथनॉल गैस पर आधारित खाना पकाने के स्टोव का निर्माण किया गया। यह परियोजना खाना पकाने वाले ईंधन से शुरू हुई है, जो महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये एक नई पहल है।

नीति आयोग के अनुसार, 'मेथनॉल एक स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन' है जिसके द्वारा 2030 तक कच्चे तेल के आयात में 10 फीसदी तक की कमी आ सकती है।

राष्ट्रीय पवन–सौर हाइब्रिड नीति

वहीं, मई 2018 में राष्ट्रीय पवन–सौर हाइब्रिड नीति जारी की गई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य बड़े ग्रिड से जुड़े पवन–सौर फोटो–वोल्टेइक हाइब्रिड प्रणाली को बढ़ावा देने के लिये एक ढाँचा प्रदान करना है।

इसके द्वारा पवन व सौर संसाधनों से भूमि का कुशल और अधिकतम उपयोग कर अधिक ऊर्जा उत्पादित करने में मदद मिलेगी। इसी क्रम में देश में सौर पार्क स्थापित किये जा रहे हैं।

गौरतलब है कि पिछले दिनों दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क 'शक्ति स्थल' कर्नाटक के पावागढ़ में बनाया गया है। साथ ही देश के 21 राज्यों में कुल 26,694 मेगावाट क्षमता के 47 सौर पार्क स्थापित करने को मंजूरी मिली है।

BS-IV मानक इंजन वाले मोटर वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर रोक यदि पर्यावरण की बात करें तो

जलवायु परिवर्तन भूगर्भीय, जैविक और पारिस्थितिकीय प्रणालियों को प्रभावित कर रहा है जिससे प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल, 2020 से BS-IV मानक इंजन वाले मोटर वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर रोक लगाने की बात कही है। इसके स्थान पर 2020 से BS-VI मानक लागू किये जाएंगे।

इसी क्रम में दिल्ली सरकार प्रदूषण रोकने के लिये इलेक्ट्रिक बसों की ओर बढ़ने की योजना बना रही थी लेकिन नए स्वच्छ ईंधन का पता लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने सड़कों पर हाइड्रोजन आधारित CNG बसों को चलाने की योजना बनाई है।

HCNG को आंतरिक दहन इंजन के ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे ईंधन का स्वच्छ और शक्तिशाली स्रोत माना जाता है। इसे भविष्य की 'हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था' की दिशा में एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। यहाँ सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि HCNG आधारित बसें चलाने के लिये इंजन के ढाँचे में न्यूनतम संशोधन की आवश्यकता होगी।

कृषि–अपशिष्ट से जैव–सीएनजी उत्पादन

इन सबके अलावा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने अगले पाँच वर्षों में 5,000 संयंत्र बनाकर कृषि–अपशिष्ट से जैव–सीएनजी उत्पादन करने के लिये एक योजना शुरू की है। ये संयंत्र न केवल कृषि अपशिष्ट जलाने की समस्या से निपटने में मदद करेंगे बल्कि किसानों को मौद्रिक लाभ भी दिलाएंगे।

अन्य उपाय

सरकार खाना पकाने, प्रकाश की व्यवस्था, रूम हीटर आदि हेतु बिजली की मांग को पूरा करने के लिये ऑफ–ग्रिड एवं विकेंद्रीकृत नवीकरणीय कार्यक्रम लागू कर रही है।

साथ ही देश में सोलर लालटेन, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर होम लाइट, सोलर पंप आदि की व्यवस्था किये जाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

इन सब के साथ–साथ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात कही है।

भारत के संदर्भ में हाल ही में आयोजित ऊर्जा संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अक्तूबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की दूसरी ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक और दूसरी नवीकरणीय ऊर्जा–इन्वेस्ट मीटिंग और एक्स्पो की मेजबानी की।

इस तीन दिवसीय आयोजन में 77 से अधिक देशों ने हिस्सेदारी की। इस आयोजन ने विशेषज्ञों को संबंधित क्षेत्र के दायरे में ऊर्जा जरूरतों पर चर्चा करने, सहयोग में आ रही परेशानियों की पहचान करने और संबंधित एजेंसियों के बीच तालमेल पर चर्चा करने के लिये एक मंच प्रदान किया।

इस कार्यक्रम ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बीच समझौते के जरिये रिश्तों को भी मजबूत किया है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर–सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है।

अब तक 71 देशों ने इस गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इनमें से 48 देशों ने इसे मंजूरी दे दी है। इस गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर ऊर्जा की निर्भरता को खत्म कर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, सभी सदस्य देशों को सस्ती दरों पर सोलर टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना और इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (Research & Development) को बढ़ावा देना आदि भी इसके उद्देश्यों में शामिल है।

इससे इतर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में चेतावनी दी है कि जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा का विकास बहुत धीमा रहा है। दरअसल, हाल के समय में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर ध्यान देने के बावजूद दीर्घकालिक जलवायु और स्थायी

लक्ष्यों को पूरा करने के लिये इस दिशा में अभी तक की गई कवायद काफी नहीं मानी जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि परिवहन और विद्युत क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा का कम उपयोग, एक स्वच्छ ऊर्जा वाले भविष्य को अंधकारमय कर सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की रणनीति को तय करना बहुत जरूरी है।

आगे की राह

दुनिया की आबादी लगभग 760 करोड़ है जो 2050 तक 900 करोड़ तक पहुँच सकती है। इस बढ़ती आबादी की जरुरतों को पूरा करने के लिये संसाधनों की तेजी से खपत हो रही है। संभावित तौर पर सभी गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, इसलिये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और स्वच्छ ईंधन की खोज एक महत्त्वपूर्ण विषय बन गया है।

भारत की बात करें तो यह एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और किसी भी अर्थव्यवस्था में 'ऊर्जा तथा वित्त' ईंधन का काम करते हैं। वित्त के अभाव में ऊर्जा आर्थिक प्रगति को रफ्तार नहीं दे सकती है। ऐसे में वैश्विक निवेशक उद्योग आज भारतीय ऊर्जा क्षेत्र को एक आकर्षक निवेश मंजिल के रूप में देख रहा है जिसका पूरा–पूरा लाभ उठाने के लिये और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये भारत को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के स्तर पर नए कीर्तिमान बनाने होंगे। इसमें भारत सरकार द्वारा 'सूर्य मित्र एप' के जरिये दी गई ट्रेनिंग और 'अभिनव सोच–नई संभावना' के नाम से दिया गया अवार्ड एक सराहनीय कदम है।

भारत की ऊर्जा रणनीति के लिये ऊर्जा भंडारण भी काफी महत्त्वपूर्ण समझा जा रहा है। लिहाजा ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में बेहतरी के लिये एक व्यापक राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण मिशन तैयार किया गया है। इसे और अधिक प्रभावी तरीके से नवाचार एवं नीतिगत समर्थन पर केंद्रित करना होगा। इसी के साथ हमें ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पर जोर देना होगा जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगा।

इसके अलावा, हमें बिजली की खपत भी कम करनी होगी जिसके लिये 'हरित इमारत कार्यक्रम' एक अहम भूमिका निभा सकता है। यह कार्यक्रम ऊर्जा परिदृश्य को बेहतर करने और आर्थिक बचत सुनिश्चित करने के अलावा संबंधित शहर की वायु की गुणवत्ता और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं को भी बेहतर बना सकता है। यदि भारत वास्तव में कम ऊर्जा खपत वाले 'इमारती' बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने में सफल हो जाता है, तो यह ढाँचा आगे चलकर भारत में समावेशी, हरित, स्वस्थ, सुरक्षित और सुदृढ़ शहरों का सफलतापूर्वक निर्माण करने में मददगार साबित हो सकता है।

निष्कर्ष

इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि लगातार बढ़ते प्रदूषण ने अनेक बीमारियों को जन्म दिया है। इसलिये इसकी रोकथाम के लिये कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोकने की बातें कही जाती रही हैं।

ऐसे में हमें वैकल्पिक ईंधन के शोध पर जोर देना होगा। इसमें मेथनॉल, हाइड्रोजन आधारित ईंधन, जेट्रोफा तेल और शेल गैस अहम् भूमिका निभा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त दुनिया भर में नीति निर्माताओं और सरकारों के साथ–साथ नागरिकों को पृथ्वी पर पर्यावरण और संसाधनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करना होगा।

संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए प्रति वर्ष वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। हिंदी बोले जाने और लिखे जाने के आधार पर देश के राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रो को तीन क्षेत्रो में चिन्हित किया है इन तीनो क्षेत्रो, यथा क, ख और ग का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्षेत्र	क्षेत्र में शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
'क'	बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र
'ख'	गुजरात, महाराष्ट्र, और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र
'ग'	'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य व संघ राज्य क्षेत्र

राजभाषा के प्रचार एवं प्रसार के बारे में सरकार की नीति यह है कि सरकारी कामकाज में हिंदी को प्रेरणा, प्रोत्साहन, और सदभावना से बढ़ाया जाये राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में उल्लेखित राजभाषा नीति और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रयुक्त स्मृति विज्ञान से प्रेरणा लेकर निम्नलिखित स्तंभों पर आधारित ''12 प्र'' की रूपरेखा और रणनीति को तैयार किया गया हैः–

- प्रेरणा
- प्रोत्साहन
- प्रेम
- प्राइज अर्थात पुरस्कार
- प्रशिक्षण
- प्रयोग
- प्रचार
- प्रसार
- प्रबंधन
- प्रमोशन (पदोन्नति)
- प्रतिबद्धता
- प्रयास

हिंदी के योग के लिए वार्षिक कार्यक्रम में कार्य विवरण और विभिन्न क्षेत्रो के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं।

इनमें उल्लेखित कार्य जैसे की हिंदी में मूल पत्राचार, हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना, हिंदी में टिप्पणी, हिंदी माध्यम से शिक्षण कार्यक्रम, द्विभाषी शिक्षण सामग्री तैयार करना, द्विभाषी वेबसाइट इत्यादि प्रमुख हैं।

हिन्दी के प्रयोग के लिए वर्ष 2021–22 का वार्षिक कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र		"ख" क्षेत्र		"ग" क्षेत्र	
1.	हिन्दी में मूल पत्राचार (ई–मेल सहित)	1. 'क' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को 2. 'क' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को 3. 'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को 4. 'क' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	100% 100% 60% 100%	1. 'ख' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को 2. 'ख' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को 3. 'ख' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को 4. 'ख' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	90% 90% 55% 90%	1. 'ग' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को 2. 'ग' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को 3. 'ग' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को 4. 'ग' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	55% 55% 55% 55%
2.	हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाना	100%		100%		100%	
3.	हिन्दी में टिप्पणी	75%		50%		30%	
4.	हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%		60%		30%	
5.	हिन्दी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%		70%		40%	
6.	हिन्दी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण	65%		55%		30%	
7.	हिन्दी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%		100%		100%	
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%		100%		100%	
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोडकर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिन्दी ई–पुस्तक, सीडी/ डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिन्दी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%		50%		50%	

10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद।	**100%**		**100%**		**100%**	
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	**100%**		**100%**		**100%**	
12.	नगरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि का प्रद"ान द्विभाषी हो	**100%**		**100%**		**100%**	
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रति"ात) (ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण (iii) विदे"ा में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	**25%** (न्यूनतम) **25%** (न्यूनतम)		**25%** (न्यूनतम) **25%** (न्यूनतम)		**25%** (न्यूनतम) **25%** (न्यूनतम)	
		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण					
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें (क) हिन्दी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक) वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)					
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिन्दी अनुवाद	**100%**		**100%**		**100%**	
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिन्दी में हों।	**40%**		**30%**		**20%**	
		सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40% "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिन्दी में किया जाए।					

वाराणसी में दो दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

श्री कामरान शेख

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 13 नवम्बर 2021 को वाराणसी में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के साथ राज्य सभा के उपसभापति श्री हरिवंश, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, श्री अजय कुमार मिश्रा, श्री निशिथ प्रमाणिक और सांसदगण और सचिव राजभाषा सहित देशभर के विद्वानगण शामिल हुए। दो दिवसीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान कई समानांतर सत्रों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के विषय में विचार और मंथन किया जाएगा।

इस अवसर पर अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि उनके लिए ये बेहद हर्ष का विषय है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में पहली बार राजभाषा सम्मेलन राजधानी के बाहर लाने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकारी परिपत्र, अधिसूचना तब तक लोकभोग्य नहीं होती है जब तक वो जन आंदोलन में परिवर्तित नहीं होती है। राजभाषा को गति देने के लिए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को दिल्ली के गलियारों से बाहर ले जाने का निर्णय 2019 में ही कर लिया गया था और ये नई शुरूआत उस वर्ष में हो रही है जो हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष है।

श्री अमित शाह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि अमृत महोत्सव हमारे पुरखों द्वारा आज़ादी के लिए दिए गए बलिदानों, संघर्षों को स्मृति में पुनर्जीवित करके युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का मौका तो है ही, ये हमारे लिए संकल्प का भी वर्ष है। इसी वर्ष में 130 करोड़ भारतीयों को ये तय करना है कि जब देश की आज़ादी के 100 साल होंगे तो भारत कैसा होगा और हर क्षेत्र में कहां खड़ा होगा। 75वें साल से 100 साल तक का काल अमृत काल होगा और ये अमृत काल हमारे सभी लक्ष्यों की सिद्धि का माध्यम होगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हम सब हिन्दी प्रेमियों के लिए भी ये संकल्प का वर्ष रहना चाहिए। जब आज़ादी के सौ साल पूरे हों, तब देश में राजभाषा और हमारी सभी स्थानीय भाषाएं इतनी बुलंद हों कि किसी भी विदेशी भाषा का सहयोग लेने की ज़रूरत ना पड़े। उन्होंने कहा कि ये काम आज़ादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, क्योंकि हमारी आज़ादी के आंदोलन के तीन स्तंभ थे – स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा। स्वराज तो मिल

गया लेकिन स्वदेशी और स्वभाषा पीछे छूट गए। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार मेक इन इंडिया और अब स्वदेशी की बात करके स्वदेशी को फिर से हमारा लक्ष्य बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं। श्री शाह ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में देशभर के लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि स्वभाषा के लक्ष्य का हम एक बार फिर स्मरण करें और इसे हमारे जीवन का हिस्सा बनाएं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हिन्दी और स्थानीय भाषाओं के बीच विवाद और राजनीति करने के बहुत प्रयास हो रहे हैं और मैं ये कहना चाहता हूं कि हिन्दी और हमारी स्थानीय भाषाओं के बीच कोई अंतर्विरोध नहीं है और हिन्दी सभी स्थानीय भाषाओं की सखी है। उन्होंने कहा कि राजभाषा का विकास तभी हो सकता है जब स्थानीय भाषाओं का विकास होगा, और स्थानीय भाषाएं सतत रूप से तभी विकसित हो सकती हैं जब राजभाषा देशभर में मज़बूत हो। ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। राजभाषा विभाग का काम है स्थानीय भाषाओं को मज़बूत करना और राजभाषा को मज़बूत करना जनता का लक्ष्य होना चाहिए।

श्री अमित शाह ने कहा कि ये एक आनंद का विषय है जब हमने राजभाषा सम्मेलन को दिल्ली से बाहर आयोजित करने का निर्णय लिया तो पहला सम्मेलन काशी में हो रहा है। विश्व का सबसे पुराना नगर, बाबा विश्वनाथ का धाम है, मां गंगा का सानिध्य है और मां सरस्वती की उपासना करने वालों के लिए काशी हमेशा स्वर्ग रहा है। भाषा और व्याकरण की उपासना करने वालों के लिए काशी हमेशा गंतव्य स्थान रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में संकल्प लेने के लिए हम सब यहां हैं कि आज़ादी के अमृत काल में जब सौ वर्ष होंगे तब स्वभाषा का लक्ष्य भी हम पूर्ण करेंगे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि काशी एक सांस्कृतिक नदी है और देश के इतिहास को काशी से अलग करके लिख ही नहीं सकते। चाहे रामायण काल हो, महाभारत काल हो, या फिर उसके बाद देश का गौरवमयी इतिहास हो, चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे देश को विकास की दिशा में ले जाने वाले और देश को दुनिया में सबसे सम्मानित स्थान पर पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री जी काशी से सांसद हों, काशी को देश के इतिहास से अलग करके हम नहीं देख सकते। जहां तक भाषा का प्रश्न है, तो काशी भाषा का गौमुख है, भाषाओं का उद्भव, भाषाओं का शुद्धिकरण, व्याकरण का शुद्धिकरण और व्याकरण को लोकभोग्य बनाने में काशी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो हिन्दी आज हम

बोलते और लिखते हैं, उस का जन्म इसी बनारस में हुआ है। भारतेन्दु हरिश्चंद्र को कौन भूल सकता है। खड़ी बोली का क्रमबद्ध विकास यहीं हुआ है और आज जो समृद्ध भाषा बनकर हिन्दी हमारे सामने है, इसकी पूरी यात्रा हमारे लिए हमेशा प्रेरणास्त्रोत रहेगी।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 1893 में आर्य समाज के अंदर एक आंदोलन चला और शाकाहार व पश्चिमी शिक्षा के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा मतभेद हुआ। उस वक़्त शिक्षा का माध्यम क्या हो इस पर पहली बार चर्चा हुई। 1868 में पहली बार यहाँ पर कुछ ब्राह्मण विद्वानों ने माँग उठायी थी कि शिक्षा की भाषा हिंदी होनी चाहिए। माँग को तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मान लिया था और नौकरियों में अभिजात्य तरीक़े से उर्दू भाषा को जो प्राथमिकता दी जाती थी उसे चुनौती मिली और हिन्दी को राजभाषा बनाने की दिशा में पहला कदम उसी वर्ष रखा गया। श्री अमित शाह ने कहा कि हिन्दी भाषा के उन्नयन और उसका व्याकरण बनाने की शुरुआत भी 1893 हुई में काशी नागरी प्रचारिणी सभा के साथ हुई। उन्होंने कहा कि हिंदी के उन्नयन, उसका शब्दकोष और व्याकरण का प्रारूप बनाने के उद्देश्य से ही नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। श्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी की पढ़ाई और पाठ्यक्रम तैयार करने की चिंता पंडित मदन मोहन मालवीय ने यहीं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में की थी।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हम तुलसीदास को कैसे भूल सकते हैं, अगर उन्होंने अवधी में रामचरितमानस ना लिखा होता तो शायद आज रामायण लुप्त हो गया होता। तुलसीदास ने यहाँ रामायण के अर्थ को आगे बढ़ाने का काम किया और उन्हीं से अवधी और हिंदी की बोलियों को लोकप्रिय बनाने की शुरुआत हुई। श्री शाह ने कहा कि जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास समेत अनेक विद्वानों ने यहीं पर हिंदी को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव में हिंदी को मजबूत करने व घर–घर पहुंचाने, स्वभाषाओं को मजबूत करने और उन्हें राजभाषा के साथ जोड़ने का जो नया अभियान शुरू होने जा रहा है उसके लिए काशी से उचित स्थान कोई और हो नहीं सकता।

श्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी भाषा को लेकर विवाद खड़ा करने का प्रयास किया गया, लेकिन अब वह समय

समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं बचपन से देखता था कि अगर अंग्रेजी बोलनी नहीं आती तो बच्चे के मन में एक हीनभावना पैदा हो जाती थी। आज मैं दावे से कहता हूं कि कुछ समय बाद अपनी भाषा में ना बोल सकने पर हीनभावना का अनुभव होगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी कृति से गौरव के साथ अपनी भाषाओं को दुनिया और देशभर के अंदर प्रस्थापित करने का काम किया है। उन्होने कहा कि शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जिनको वैश्विक मंच पर इतना सम्मान मिला होगा जितना श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनियाभर में भारत की बात अपनी राजभाषा में रखकर राजभाषा के गौरव को बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जो देश अपनी भाषा को खो देता है वह कालक्रम में अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने मौलिक चिंतन को भी खो देता है। जो देश अपने मौलिक चिंतन को खो देता है वे दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए योगदान नहीं कर सकता। इसलिए हमारी भाषाओं को संभालकर रखना बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री शाह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारी भाषा चिरंजीव बने और आगे बढ़े क्योंकि भाषा समाज और जीवन को आगे बढ़ाने, संस्कृति के धाराप्रवाह को आगे बढ़ाने और संस्कृति के धाराप्रवाह से उपजे ज्ञान को दुनिया भर में फैलाने का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। श्री अमित शाह ने कहा कि इसीलिए हमारे यहां भाषा में अक्षर शब्द का प्रयोग होता है, जिसका कभी क्षरण नहीं होता उसे अक्षर कहते हैं। महर्षि पाणिनि, महर्षि पतंजलि और महऋषि भर्तृहरि ने भाषाओं के लिए अनेक प्रकार की विधाओं को हमारे देश के अंदर जन्म दिया, आज भी कुछ लोग उन्हें संभाल कर आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि अगर एक बार देश की जनता आजादी के अमृत काल में मन बना ले कि हमारे देश का व्यवहार, बोलचाल, पत्रव्यवहार और शासन स्वभाषा में चलना शुरू हो जाए तो महर्षि पतंजलि और पाणिनी हमें जो देकर गए हैं वह तुरंत पुनर्जीवित हो जाएगा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से मैं देश भर के अभिभावकों से यह अपील और अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों के साथ अपनी भाषा में बात करिए। बच्चे चाहे किसी भी माध्यम में पढ़ते हो, घर के अंदर उनसे अपनी भाषा में बात करिए और उनका आत्मविश्वास बढाइए। उसके मन से में अपनी भाषा बोलने के लिए जो झिझक है उसे निकाल दीजिए। उन्होंने कहा

कि इससे भाषा का तो भला होगा मगर उससे ज्यादा भला बच्चों का होगा क्योंकि मौलिक चिंतन अपनी भाषा से ही आ सकता है। दूसरी भाषा रटा रटाया ज्ञान तो दे सकती है मगर ज्ञान को अर्जित करना और उसे आगे बढ़ाने की यात्रा मौलिक चिंतन से ही हो सकती है और मौलिक चिंतन स्वभाषा से ही प्राप्त हो सकता है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि दुनिया में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती है लेकिन भाषाओं के बारे में हमारे देश पर ईश्वर और मां सरस्वती की कृपा है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली और लिपिबद्ध भाषाएं अगर किसी एक देश में है तो वह भारत के अंदर है। हजारों साल का हमारा इतिहास और संस्कृति का धाराप्रवाह इनके अंदर समाहित है, हमें उसे आगे बढ़ाना है। श्री अमित शाह ने कहा कि भाषा जितनी सशक्त और समृद्ध होगी, संस्कृति और सभ्यता उतनी ही विस्तृत, सशक्त और चिरंजीव होगी। अगर हम अपनी संस्कृति को संभाल कर रखना चाहते हैं, इसे आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें अपनी भाषाओं को मजबूत करना पड़ेगा। श्री अमित शाह ने कहा कि मैं युवाओं का आह्वान करना चाहता हूँ कि वे अपनी भाषा से जुड़ाव और लगाव तथा अपनी भाषा के उपयोग से कभी भी शर्म न रखें, क्योंकि अपनी भाषा गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि एक ज़माना था जब घबराहट होती थी, लेकिन अब एक ज़माना शुरू हो चुका है जब गौरव की अनुभूति होगी। घबराहट को गौरव में बदलना नरेन्द्र मोदी जी के शासनकाल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वभाषा ही अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करती है, चिंतन को गति देती है और नए परिमाणों की दिशा में सोचने को हमें प्रेरित करती है। स्वभाषा व्यक्ति के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें आत्मसम्मान चाहिए तो हमें राजभाषा और स्वभाषा, दोनों को मज़बूत करना होगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी नई शिक्षा नीति का एक प्रमुख स्तंभ है राजभाषा और अन्य भारतीय भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ''महिला सशक्तिकरण'' विषय पर निबंध प्रतियोगिता के परिणाम

हिन्दी अनुभाग

क्रम सं.	नाम	पुरस्कार	राशि
1.	सुश्री मालवी मेहरोत्रा	प्रथम	5000
2.	सुश्री आकांक्षा कृष्णन	द्वितीय	3000
3.	सुश्री रेणुका रावत	तृतीय	2000
4.	सुश्री हरप्रीत कौर	प्रोत्साहन	1000
5.	श्री विवेक नेगी	प्रोत्साहन	1000
6.	श्री अजितेश उपाध्याय	प्रोत्साहन	1000

''ऊर्जा संरक्षण का महत्व'' विषय पर निबंध प्रतियोगिता के परिणाम

क्रम सं.	नाम	पुरस्कार	राशि
1.	सुश्री आकांक्षा कृष्णन	प्रथम	5000
2.	श्री पंकज शर्मा	द्वितीय	3000
3.	श्री विकास कुमार झा	तृतीय	2000
4.	श्री हितेश गुप्ता	प्रोत्साहन	1000
5.	श्री सन्नी देव	प्रोत्साहन	1000
6.	श्री अजेन्द्र सिंह	प्रोत्साहन	1000

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में हिन्दी पखवाड़ा-2021 का आयोजन-एक रिपोर्ट

हिन्दी अनुभाग

ऊर्जा दक्षता ब्यूरा के अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से दिनांक 14 सितंबर, 2021 से 29 सितंबर, 2021 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया और इस दौरान–(1) हिन्दी कविता प्रतियोगिता (2) हिन्दी निबंध प्रतियोगिता (3) हिन्दी स्लोगन प्रतियोगिता (4) राजभाशा संबंधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता (5) हिन्दी श्रुतलेख प्रतियोगिता (6) हिन्दी श्रुतलेख प्रतियोगिता (चतुर्थ श्रेणी के लिए) –

हिन्दी कविता प्रतियोगिता

क्रम सं.	प्रतिभागियों के नाम	पुरस्कार
1.	श्री अजेन्द्र सिंह	प्रथम
2.	श्री निखिल प्रसाद	द्वितीय
3.	श्री वी.के. श्रीवास्तव	तृतीय
4.	सुश्री सृष्टि	प्रोत्साहन
5.	श्री प्रभाष कुमार	प्रोत्साहन
6.	सुश्री पूजा कुमारी	प्रोत्साहन
7.	श्री अरुण कुमार	प्रोत्साहन
8.	श्री नरेन्द्र कुमार	प्रोत्साहन

हिन्दी निबंध प्रतियोगिता

क्रम सं.	प्रतिभागियों के नाम	पुरस्कार
1.	श्री पंकज शर्मा	प्रथम
2.	श्रीमती रेणुका रावत	द्वितीय
3.	श्री विवेक नेगी	तृतीय
4.	श्री निखिल प्रसाद	प्रोत्साहन
5.	श्री अभिषेक कुमार यादव	प्रोत्साहन
6.	श्री अंकित कुमार राय	प्रोत्साहन
7.	सुश्री आकांक्षा कृष्णन	प्रोत्साहन
8.	सुश्री पूजा कुमारी	प्रोत्साहन

हिन्दी स्लोगन प्रतियोगिता

क्रम सं.	प्रतिभागियों के नाम	पुरस्कार
1.	श्री वी.के. श्रीवास्तव	प्रथम
2.	श्री विकास कुमार झा	द्वितीय
3.	श्री हरीश कुमार	तृतीय
4.	श्री अजेन्द्र सिंह	प्रोत्साहन
5.	सुश्री तृप्ति शर्मा	प्रोत्साहन
6.	श्रीमती रूना दास	प्रोत्साहन
7.	सुश्री आकांक्षा कृष्णन	प्रोत्साहन
8.	श्री संदीप मोहन	प्रोत्साहन

राजभाषा संबंधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता

क्रम सं.	प्रतिभागियों के नाम	पुरस्कार
1.	सुश्री तृप्ति शर्मा	प्रथम
2.	श्रीमती गीता कृष्णन	द्वितीय
3.	श्री पंकज शर्मा	तृतीय
4.	श्रीमती रेणुका रावत	प्रोत्साहन
5.	श्री विकास कुमार झा	प्रोत्साहन
6.	श्रीमती अंजू आर सिंह	प्रोत्साहन
7.	श्रीमती योगिता केम	प्रोत्साहन
8.	श्री अभिनव कुमार टाम्टा	प्रोत्साहन

हिन्दी श्रुतलेख प्रतियोगिता

क्रम सं.	प्रतिभागियों के नाम	पुरस्कार
1.	श्री पंकज शर्मा	प्रथम
2.	श्रीमती रूना दास	द्वितीय
3.	श्री हरीश कुमार	तृतीय
4.	सुश्री आकांक्षा कृष्णन	प्रोत्साहन
5.	श्रीमती अंजू आर सिंह	प्रोत्साहन
6.	श्रीमती योगिता केम	प्रोत्साहन
7.	श्री नरेन्द्र सिंह नेगी	प्रोत्साहन
8.	श्री प्रवीण कांत सोलंकी	प्रोत्साहन

हिन्दी श्रुतलेख प्रतियोगिता (चतुर्थ श्रेणी के लिए)

क्रम सं.	प्रतिभागियों के नाम	पुरस्कार
1.	श्री संदीप मोहन	प्रथम
2.	श्री मोहित कुमार	द्वितीय
3.	श्री विश्वकर्मा मंडल	तृतीय
4.	श्री उदय कुमार	प्रोत्साहन
5.	श्री महेश कुमार आर्या	प्रोत्साहन
6.	श्री राहुल कुमार	प्रोत्साहन
7.	श्री अमित कुमार	प्रोत्साहन
8.	श्री नरेन्द्र कुमार	प्रोत्साहन

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में दिनांक 28 सितम्बर, 2021 को राज्य नामित एजेंसियों के अधिकारियों के बीच ऊर्जा संरक्षण पर ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता का आयोजन-एक रिपोर्ट

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में 14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2021 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान अन्य प्रतियोगिताओं के साथ–साथ 28 सितम्बर, 2021 को 11:00 बजे (पूर्वाह्न) राज्य नामित एजेंसियों के अधिकारियों के बीच ऊर्जा संरक्षण पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पुरस्कारों के दृष्टिकोण से यह प्रतियोगिता हिन्दी भाषी तथा अहिन्दी भाषी अधिकारियों के लिए अलग–अलग आयोजित की गई। प्रत्येक वक्ता को अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम समय सीमा 05 मिनट निर्धारित की गई थी। इस प्रतियोगिता में विभिन्न एजेंसियों के 13 अधिकारियों ने प्रतिभागी के रूप में भाग लिया जिनका विवरण निम्नानुसार है –

क्रम सं.	नाम/पदनाम/राज्य नामित एजेंसी	हिन्दी भाषी/अहिन्दी भाषी
1.	सुश्री नवांग चोडेन लेपचा कनिष्ठ अभियंता (एसडीए), सिक्किम राज्य नामित एजेंसी, गंगटोक	अहिन्दी भाषी
2.	श्रीमती रश्मि फुकान (वरिष्ठ ग्रेड–इ आई), असम राज्य नामित एजेंसी	अहिन्दी भाषी
3.	श्री एस.एम. रफी कार्यकारी अभियंता / एपीएसईसीएम, आन्ध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन	अहिन्दी भाषी
4.	श्री अमलान गजेंद्र महापात्रा ऊर्जा प्रबंधक, कर्नाटक अक्षय ऊर्जा विकास लिमिटेड	अहिन्दी भाषी
5.	श्री गिरीश कुमार वरिष्ठ ऊर्जा सलाहकार, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	हिन्दी भाषी

6.	श्री रोहित कुमार परियोजना अभियंता (ईसी), पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी,	हिन्दी भाषी
7.	श्री. मनोज जैन, परियोजना निदेशक, डीएनआरई, हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी,	हिन्दी भाषी
8.	डॉ. सुरेंद्र बाजपाई मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड,	हिन्दी भाषी
9.	श्री योगेश शर्मा डिप्टी मैनेजर, दिल्ली राज्य नामित एजेंसी	हिन्दी भाषी
10.	निहार रंजन साहू परियोजना समन्वयक, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, छत्तीसगढ़	हिन्दी भाषी
11.	श्री राहुल शर्मा (वरिष्ठ परामर्शदाता, पैट) आरआरईसीएल, जयपुर	हिन्दी भाषी
12.	श्री मनोज कुमार , वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी	हिन्दी भाषी
13.	श्री जगदीश नामदेव परियोजना अधिकारी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी	हिन्दी भाषी

उपरोक्त सभी प्रतिभागियों ने अपनी एजेंसियों में ऊर्जा संरक्षण के लिए की जा रही गतिविधियों तथा विष्य की योजनाओं पर सफलतापूर्वक वक्तव्य दिए। इस प्रतियोगिता में हिन्दी भाषी एवं हिन्दी भाषी अधिकारियों ने भाग लिया। हिन्दी भाषी अधिकारियों के साथ–साथ अहिन्दी भाषी अधिकारियों के वक्तव्य में हिन्दी भाषा का प्रवाह बहुत ही अच्छा था जिसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं।

उक्त प्रतियोगिता में विभिन्न एजेंसियों से भाग लेने वाले 13 अधिकारियों द्वारा दिए गए वक्तव्य का मूल्यांकन करने तथा पुरस्कार के लिए पात्र उम्मीदवारों के चयन करने हेतु एक मूल्यांकन समिति का गठन किया गया। इस मूल्यांकन समिति में निम्नलिखित अधिकारी शामिल थे –

1.	श्रीमती त्रिशलजीत सेठी मुख्य सतर्कता अधिकारी, एनटीपीसी	अध्यक्ष
2.	श्री आनंद उपाध्याय उप सचिव,विद्युत मंत्रालय	सदस्य
3.	श्री अनिल कुमार सहायक निदेशक राजभाषा, विद्युत मंत्रालय	सदस्य

मूल्यांकन समिति के उपरोक्त अधिकारियों ने, प्रतिभागियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक सुना और पुरस्कारों के लिए पात्र उम्मीदवारों का चयन निम्नानुसार किया –

क्रम सं.	अहिन्दी भाषी	प्राप्त स्थान
1.	सुश्री नवांग चोडेन लेपचा कनिष्ठ अभियंता (एसडीए), सिक्किम राज्य नामित एजेंसी, गंगटोक	प्रथम
2.	श्री एस.एम. रफी कार्यकारी अभियंता / एपीएसईसीएम, आन्ध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन	द्वितीय
3.	श्रीमती रश्मि फुकान (वरिष्ठ ग्रेड–इ आई), असम राज्य नामित एजेंसी	तृतीय
4.	श्री अमलान गजेंद्र महापात्रा ऊर्जा प्रबंधक, कर्नाटक अक्षय ऊर्जा विकास लिमिटेड	तृतीय

क्रम सं.	हिन्दी भाषी	प्राप्त स्थान
1.	श्री जगदीश नामदेव परियोजना अधिकारी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी	प्रथम
2.	श्री योगेश शर्मा डिप्टी मैनेजर, दिल्ली राज्य नामित एजेंसी	द्वितीय
3.	श्री मनोज कुमार , वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी	तृतीय
4.	श्री रोहित कुमार परियोजना अभियंता (ईसी), पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी,	तृतीय

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के संयुक्त निदेशक, श्री अभिषेक शर्मा द्वारा सभी राज्य नामित एजेंसियों के अधिकारियों, निर्णायक मंडल के अधिकारियों तथा ब्यूरो के अधिकारियों को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ उक्त प्रतियोगिता सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा उपरोक्त चयनित अहिन्दी भाषी/हिन्दी भाषी अधिकारियों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5000/–रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 3000/– रुपए तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में 2000/– 2000/– रुपए के दो पुरस्कार प्रदान किए गए।

सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई

विद्युत मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 300 मिलियन टन कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन बचाने का श्रेय बीईई को दिया

आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता सप्ताह मनाया

आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में विद्युत मंत्रालय ने 14 दिसम्बर, 2021 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया। इस अवसर पर केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने 31वां राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एनईसीए), पहला राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार (एनईईआईए) और संरक्षण पर राष्ट्रीय स्तर की चित्रकारी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह थे। इस दौरान विद्युत राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर और श्री आलोक कुमार, सचिव (विद्युत), भारत सरकार भी उपस्थित रहे और सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में विद्युत सीपीएसयू के सीएमडी और विद्युत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने सभी विजेताओं और विशेष रूप से नवाचार पुरस्कार जीतने वालों को हार्दिक बधाई दी।

श्री आर. के. सिंह ने कहा कि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों, प्रतिश्ठानों और संगठनों के प्रमुखों, प्रबंधकों, सीईओ और कार्यकारी अधिकारियों की इस सभा को संबोधित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, जो ऊर्जा संरक्षण अभियान के महत्वपूर्ण अंग हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सस्ती दर पर 24/7 सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच प्रदान करना हमारी

सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि हाम के कुछ वर्षों में, भारत ने गांवों में विद्युतीकरण और घरों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

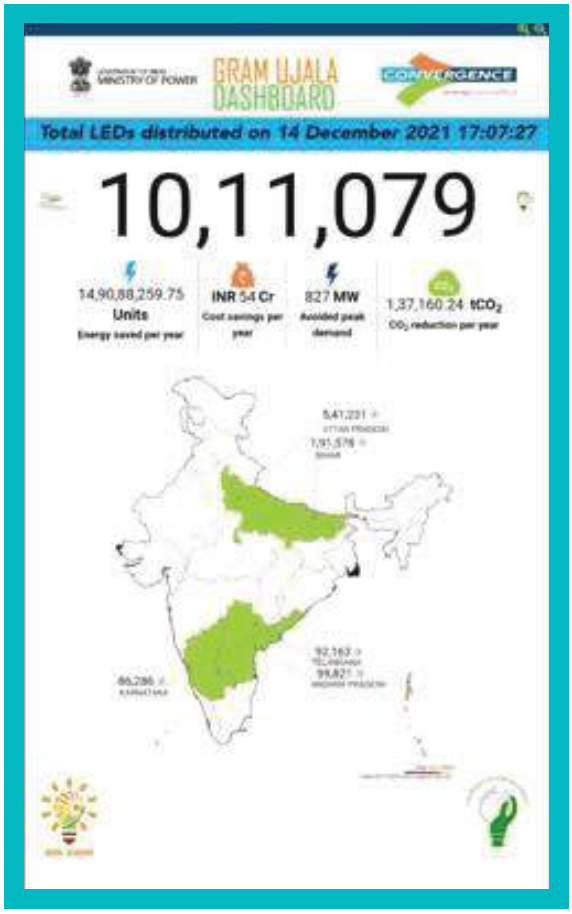

श्री आर. के. सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विद्युत क्षेत्र में, 142 गीगावाट उत्पादन क्षमता बढ़ाकर, पूरे देश को एक ग्रिड से जोड़कर और एक ग्रिड, एक बाजार के विजन को हासिल कर हम पिछले पांच वर्षों में संपूर्ण परिवर्तन लाए हैं। ऊर्जा घाटे से निकलकर भारत अब अतिरिक्त ऊर्जा पैदा करने वाला देश बन चुका है। मंत्री ने कहा कि 2014 की तुलना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता में जबरदस्त वृद्धि हुई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली अब क्रमशः 22 घंटे और 23.5 घंटे की अवधी के लिए उपलब्ध है।

मंत्री ने यह भी कहा कि परिवर्तन न केवल क्षमता में हुआ है बल्कि ऊर्जा मिश्रण, ऊर्जा तीव्रता और उत्सर्जन तीव्रता को लेकर भी है। उन्होंने बताया कि भारत ने गैर–जीवाश्म स्रोतों से 40 प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन करने का एनडीसी लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह उपलब्धि निर्धारित तिथि से काफी पहले हासिल कर ली गई। हमारे देश में दुनिया में सबसे कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन होता है जो कुल उत्सर्जन का करीब 3 प्रतिशत है।

ग्राम उजाला योजना के तहत आज 5 राज्यों में 10 लाख एलईडी बल्ब बांटे गए, जिसके लिए मंत्री ने सीईएसएल को बधाई दी। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खराब न हुए इन्कैंडिसेंट बल्बों (साधारण बल्ब) के बदले अत्यधिक छूट के साथ मात्र 10 रुपए में एलईडी दी गई। इससे ऊर्जा की अत्यधिक बचत के साथ–साथ उपभोक्ता के पैसे भी बचते हैं। उन्होंने एरफॉर्म, अचीव, ट्रेड, पीएटी जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से करीब 300 मिलियन टन सीओ2 का उत्सर्जन रोकने का श्रेय बीईई को दिया। पीएटी के दूसरे दौर के बाद हमने 66 मिलियन टन उत्सर्जन में कमी हासिल की है। हमारा लक्ष्य 2022 तक 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करना है। 150 गीगावॉट का उत्पादन हो रहा है जबकि 63 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा अभी प्रक्रिया में है। मंत्री ने कहा कि विकास और ऊर्जा की खपत अब एक दूसरे से

प्रभावित नहीं हो रहे, हमं पूरी मेहनत से इस दिशा में बढ़ना होगा।

मंत्री ने इस धारणा पर जोर दिया कि अकेले ऊर्जा परिवर्तन पर्याप्त नहीं होगा और ऊर्जा के भंडारण के प्रयास भी किए जाने चाहिए। 1 यूनिट ऊर्जा की बचत का तात्पर्य है, 1 यूनिट ऊर्जा उत्पन्न की गई। बैंकों को यह समझना होगा कि ऊर्जा दक्षता से पैसे की बचत होती है और यह न केवल बेहतर वातावरण का बल्कि अर्थशास्त्र का भी प्रतिबिंब है।

मंत्री ने कहा कि बड़े उद्योग पहले ही ऊर्जा दक्षता के फायदे को स्वीकार कर चुके हैं और मुझे उस चेतना का भी अहसास है जो हमारे देश में ऊर्जा संरक्षण को लेकर बढ़ रही है।

श्री सिंह ने ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार नामक नया पुरस्कार शुरू करने के लिए बीईई की सराहना की। उन्होंने इस साल पुरस्कार जीतने वाले सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने सभी लोगों से आगे आने और ऊर्जा की खपत को कम करने के दूसरे नवीन तंत्र की पहचान करने और इस पुरस्कार में भाग लेने का आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्री ने यह कहते हुए अपनी बात पूरी की कि संबंधित हितधारकों द्वारा किए जा रहे सभी प्रयासों से हमें हरित और स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के मदद मिलेगी।

इस अवसर पर, श्री आर. के. सिंह और श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने निम्नलिखित दस्तावेज जारी किए गए:

(क) उच्च ऊर्जा लीथियम–आयन ट्रैक्शन बैट्री पैक्स और सिस्टम्स के लिए मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम : ईवी बैट्री इलेक्ट्रॉनिक वाहन की कुल खरीद मूल्य का लगभग एक तिहाई हिस्सा होती है, ऐसे में उत्पादन पढ़ाकर और बैट्री के घटकों के मानकीकरण से बैट्री की लागत को कम करके भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र की दीर्घकालिक सफलता की राह आसान हो सकती है।

(ख) टायर के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रमः वाहन मालिकों द्वारा टायर बदलने का चलन टायर उद्योग के लिए काफी मायने रखता है, जबकि वाहन मालिक इस बात से अनजान होते हैं कि बेकार टायर के चलते ईंधन की बर्बादी भी होती है। उपभोक्ता को सूचना के साथ विकल्प प्रदान करने के लिए बीईई ने भारत में बनी, आयात की गई और बेची जाने वाली यात्री कारों (सी1), लाइट ड्यूटी व्हीकल्स (सी3) के लिए टायर को लेकर मानक और लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किया है। स्टार लेबल मापदंड टायरों के रोलिंग रजिस्टेंस कोएफिसिएंट (आरआरसी) पर आधारित है।

(ग) नोट जीरो एनर्जी इमारतों को बढ़ावा देने के लिए 'शून्य लेबलिंग कार्यक्रम' : भवन क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं और इसलिए मौजूदा भवन लेबलिंग कार्यक्रम के दायरे को विस्तार देने के लिए, नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग (एनजेडईबी) और नेट पॉजिटिव एनर्जी बिल्डिंग (एनपीईबी) के लिए शून्य कार्यक्रम शूरू किया गया है। 10 ≤ ईपीआई ≤ 0 केडब्लूएच/एम2/साल वाली इमारतों को शून्य लेबल दिया जाएगा, जबकि ईपीआई ≤ 0 केडब्लूएच/एम2/साल वाली इमारतों को शून्य लेबल दिया जाएगा। यह कार्यक्रम इमारत के मालिकों और प्रमोटरों को ऊर्जा कुशल इमारतें बनाने और इसे नेट जीरो या नेट पॉजिटिव एनर्जी बिल्डिंग बनाने के लिए और सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

(घ) 'ऊर्जा दक्षता और उष्मा के लिहाज से बेहतर इमारतों को लेकर जागरूकता बढ़ाने' पर गाइडबुकः सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने में मीडिया अहम भूमिका निभाती है। गाइडबुक में ऊर्जा कुशल इमारतों की डिजाइन, प्रमुख विषेशताओं, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीतियों आदि के बारे में जानकारी शामिल है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस) ने ऊर्जा कुशल इमारतों के विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और फेलोशिप की एक श्रृंखला चलाने के बाद बीईई के साथ मैनुअल विकसित किया है। इसके अतिरिक्त,

प्रशिक्षकों के प्रषिक्षण के लिए एक गाइडबुक भी तैयार की गई है।

(ड़) एसएमई के लिए क्लाउड आधारित डेटा विष्लेशणात्मक टूल : इस टूल का उद्देश्य 5 एमएसएमई क्षेत्रों में प्रक्रिया अनुप्रयोग में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों, उपायों और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का विश्लेषण करना है। इस टूल को एनर्जी ऑडिट गतिविधियों, प्रौद्योगिकी, कार्यान्वयन सपोर्ट से इकट्ठा किए गए डेटा के माध्यम से विकसित किया गया है।

(च) 10 लाख एलईडी बल्ब वितरण : इस पहल के तहत, पांच राज्यों–बिहार, उत्तर प्रदेश ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 2579 गांवों में एक दिन में कुल 10 लाख एलईडी बल्ब वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में 7 वॉट और 12 वॉट के एलईडी बल्ब को इन्कैंडिसेंट बल्ब के बदले मात्र 10 रुपये की कीमत पर दिया गया, जो खरीद की तारीख से तीन साल की गारंटी के साथ दिए गए हैं।

इस अवसर पर बोलते हुए श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि वह इस ऊर्जा दक्षता दिवस में शामिल होकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि ग्राउंड जीरो पर ऊर्जा दक्षता प्रयासों को मान्यता देने में यह मील का पत्थर है। उन्होंने समारोह में सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी।

अपने संबोधन में श्री आलोक कुमार ने कहा कि यह एक बहुत ही विशेष ऊर्जा दक्षता दिवस है क्योंकि हम आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। उन्होंने यह बताते हुए प्रसन्न व्यक्त की कि विद्युत मंत्रालय ऊर्जा दक्षता पर जागरूकता फैलाने के लिए पूरे भारत के गांवों, कस्बों, शहरों और स्कूलों में कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

उन्होंने कहा कि हम सीओपी26 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

विजेताओं समेत विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों के हितधारकों ने भी इसमें हिस्सा लिया।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF POWER, GOVERNMENT OF INDIA
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

Guidebook on "Awareness Generation on Energy Efficient Buildings & Thermal Comfort"
Guidebook to Train the Trainer on
Energy Efficient and Thermally
Comfortable Buildings

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

Star Rating of Tyres
FUEL SAVING GUIDE

Star Rating of Batteries
Energy Efficiency Program
for
High- Energy Lithium-ion
Traction Battery
Packs and Systems

GRAM UJALA Dashboard
1 million LED Bulb Distribution in 1 Day
By
Click here for dashboard
Shri R.K. Singh
Hon'ble Union Minister of Power and New & Renewable Energy
Govt. of India
In the august presence of
Shri Krishan Pal
Hon'ble Union Minister of State for Power and Heavy Industries

बीईई ने न्यून कार्बन प्रौद्योगिकियों पर राष्ट्रीय नवाचार सम्मेलन के साथ अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया

आयोजन के तहत आयोजित प्रदर्शनी में 35 से अधिक नवप्रवर्तनकर्ताओं ने भाग लिया

ऊर्जा दक्षता (बीईई) ने आज न्यून कार्बन प्रौद्योगिकियों पर राष्ट्रीय नवाचार सम्मेलन का आयोजन करके अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। इस सम्मेलन के माध्यम से औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ऊर्जा बचत और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी की क्षमता के लाभों को दर्शाने वाले व्यापक स्तर पर लाए जाने वाले नवाचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान किया। न्यून कार्बन प्रौद्योगिकी परिनियोजन सुविधा (एफएलसीटीडी), वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) द्वारा वित्तपोषित एक परियोजना है, जिसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के सहयोग से कार्यान्वित किया गया है।

इस अवसर पर केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने अपना विशेष संबोधन दिया। श्री आर.के. सिंह ने नवाचार के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें इस दिशा में काम करने वाले लोगों की मदद करने और ऐसी प्रौद्योगिकियों को बाजार में लाने के लिए कमियों को दूर करने की जरूरत है।

सम्मेलन में अपने संबोधन में, विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि ऊर्जा की बचत हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए ऊर्जा संरक्षण की दिशा में कदम उठाना और देश को स्वच्छ और हरा–भरा बनाना बहुत महत्वपूर्ण है।

इस कार्यक्रम में एफएलसीटीडी परियोजना के समर्थन से विकसित और मान्य कई न्यून कार्बन प्रौद्योगिकी नवाचारों को प्रदर्शित किया गया। आयोजन

के अंतर्गत आयोजित प्रदर्शनी में 35 से अधिक नवप्रवर्तनकर्ताओं ने भाग लिया।

इस अवसर पर एफएलसीटीडी उत्प्रेरकों का एक संग्रह जारी किया गया और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। सम्मेलन के दौरान न्यून कार्बन नवाचार में ऐसी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया जिसमें व्यावसायीकरण और व्यापक स्तरी पर वित्तपोषण की आवश्यकता शामिल है। सम्मेलन में नवोन्मेषी तकनीकों, स्वच्छ प्रौद्योगिकी नवाचार में निवेश और एफएलसीटीडी के उत्प्रेरक कार्यक्रम पर विचार–विमर्श करने वाले सत्रों का आयोजन किया गया।

2018 से, एफएलसीटीडी परियोजना ने नवाचार चुनौतियों के चार दौर आयोजित किए हैं। परियोजना को नवाचार चुनौतियों के संदर्भ में 558 आवेदन प्राप्त हुए हैं और विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा 59 विजेताओं का चयन किया गया है। परियोजना वास्तविक क्षेत्र की स्थितियों में नवाचार को मान्य करने के लिए विजेताओं को 18.55 करोड़ रूपए का आवंटन कर रही है। इसमें पहले से ही 18 प्रौद्योगिकियों को मान्यता दी जा चुकी है, और दस प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण किया गया है।

2019 के दौरान एफएलसीटीडी उत्प्रेरक कार्यक्रम के तहत स्टार्ट–अप्स को प्रशिक्षण और सलाह सहायता प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था, जो स्वच्छ प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के प्रारंभिक चरण में हैं। एफएलसीटीडी ने 4 महीने के उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए 'स्टार्ट अप इंडिया' के साथ सहयोग किया है, जिसमें उद्योग कर्मियों और संभावित नवप्रवर्तकों को उनकी व्यावसायिक संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

न्यून कार्बन प्रौद्योगिकी परिनियोजन (एफएलसीटीडी) सुविधा के बारे में जानकारी:

न्यून कार्बन प्रौद्योगिकी परिनियोजन (एफएलसीटीडी) परियोजना सुविधा का शुभारंभ 2016 में किया गया था, जिसका उद्देश्य नवीन ऊर्जा दक्षता और न्यून कार्बन प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान करना है जो भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में मौजूदा प्रौद्योगिकी अंतराल को समाप्त करते हैं। एफएलसीटीडी परियोजना को वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और इसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के सहयोग से कार्यान्वित किया गया है।

एफएलसीटीडी ने 'नवाचार चुनौती' के लिए छह प्राथमिकता वाले प्रौद्योगिकी वर्टिकलों की पहचान की है। परियोजना वार्षिक नवाचार चुनौती का आयोजिन करती है और निम्नलिखित क्षेत्रों में उद्योग, नवप्रवर्तनकर्ताओं और तकनीकी संस्थानों से भागीदारी को आमंत्रित करती है: अपशिष्ट ताप रिकवरी, स्पेस कंडीशनिंग, पंप, पंपिंग सिस्टम और मोटर्स, औद्योगिक आईओटी, औद्योगिक संसाधन दक्षता और विद्युत ऊर्जा भंडारण। एफएलसीटीडी परियोजना ने पहले ही 18 नई तकनीकों को विकसित किया है और जिनमें से 12 का व्यावसायीकरण भी किया जा चुका है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय)

चौथा तल, सेवा भवन, आर. के. पुरम. नई दिल्ली–110066

Website : www.beeindia.gov.in | beeindiadigital / bureauofenergyefficiency